(1)

उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण विभाग

निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ- रूद्रप्रयाग

7वाँ वृत्त लोक निर्माण विभाग गौपेश्वर

वनभूमि
हस्तान्तरण पत्रावली

परियोजना का नाम	:–	मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।
ग्राम	:–	देवशाल,
राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र	:–	गुप्तकाशी
तहसील	:–	ऊखीमठ
जनपद	:–	रूद्रप्रयाग
क्षेत्रफल	:–	0.7875 है0 राज्य भूमि मोटर मार्ग निर्माण हेतु। 0.0750 है0 राज्य भूमि मक ड़म्पिगं हेतु। 0.023 है0 पंचायती वनभूमि मक ड़म्पिगं हेतु। कुल वनभूमि = 0.885 है0

आवश्यक प्रपत्रों की सूची (चैक लिस्ट)

क्र0सं0	प्रपत्र का विषय	पृष्ठ संख्या	संलग्न है/नहीं	संलग्न न होने का कारण
1	सक्षम अधिकारी/ऑन–लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी का प्रमाण–पत्र।	5-B	संलग्न है	
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–1, 2 तथा भाग–3	5-C-9	संलग्न है	
3	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	10-16	संलग्न है	
4	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	17	संलग्न है	
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (Site Inspection Report)	18	संलग्न है	
6	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अगल–अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	20	संलग्न है	
7	डिजिटल मैप व सी0डी0 में प्रस्तावित क्षेत्र को जी०पी०एस० रिडिंग के साथ दर्शाया गया हो।	19	संलग्न है	
8	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण दर्शाया गया हो।	19-20	संलग्न है	
9	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	21	संलग्न है	
10	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	2	संलग्न है	
11	वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	22-29	संलग्न है	
12	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र।	30	संलग्न है	
13	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	31-32	संलग्न है	
14	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	33	संलग्न है	
15	बार चार्ट।	34	संलग्न है	
16	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण–पत्र।	35	संलग्न है	
17	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण।	36-45	संलग्न है	
18	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्याँकन/सारांश।	46-47A	संलग्न है	
19	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	45	संलग्न है	
20	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण–पत्र।	48		
21	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।	49	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
22	न्यनूतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	50	संलग्न है	
23	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण–पत्र।	51-52		
24	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	53		
25	राष्ट्रीय पार्कों/वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग राष्ट्रीय पार्को/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।
26	प्रभावित ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	54-55	संलग्न है	
27	लागत लाभ विशलेषण।(5 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग 5 हे0 से कम है।
28	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र	56-60	संलग्न है	
29	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य जल विद्युत परियोजना नहीं है।
30	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले–आउट प्लान।	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य भवन निर्माण सम्बन्धित नहीं

				है।
31	परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक की आख्या।	61-64	संलग्न है	
32	भू–वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाणपत्र।	65	संलग्न है	
33	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्कफोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाणपत्र	66	संलग्न है	
34	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण–पत्र।	67-68	संलग्न है	
35	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण–पत्र।	69	संलग्न है	
36	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाणपत्र	70	संलग्न है	
37	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र।	71	संलग्न है	
38	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/ परिवारों के विवरण का प्रमाण–पत्र।	72	संलग्न है	
39	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/~~लीज रेन्ट~~ का प्रमाण–पत्र।	73	संलग्न है	
40	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	—	संलग्न नहीं है।	प्रस्तावित मोटर मार्ग का क्षेत्रफल 1 हे० से कम है।
41	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र।	—	—〃—	—〃—
42	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	—	—〃—	—〃—
43	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	—	—〃—	—〃—
44	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/दस गुना/बौनी प्रजातियों/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	74-78		
45	यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण–पत्र।	—	संलग्न नहीं है।	प्रस्तावित मोटर मार्ग का क्षेत्रफल 1 हे० से कम है। लागू नहीं है।
46	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध ।	—	—〃—	
47	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	79-83	संलग्न है	
48	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।	84	संलग्न है	
49	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण–पत्र।	85	संलग्न है	
50	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	86	संलग्न है	
51	लीज अवधि का प्रमाण–पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
52	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	87	संलग्न है	
53	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र।	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
54	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
57	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है

फैक्ट सीट

परियोजना का नामः– **मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।**

2-प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है0 में)

आरक्षित वन भूमि	शून्य
राज्य भूमि	0.7875 है0 मोटर मार्ग हेतु + 0.0750 है0 मक ड़म्पिगं हेतु = 0.8625 है0
वन पंचायत भूमि	0.023 है0 मक ड़म्पिगं हेतु
नाप भूमि	0.7875 है0 मोटर मार्ग हेतु
योग	**1.673**

3-प्रस्तावक विभाग का नाम – **निर्माण खण्ड़ लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ**

4-वन प्रभाग का नाम – **रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग**

5-प्रस्ताव बांइड़िग किया गया है - **हाँ/नही**

6-प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है – **हाँ/नही**

7-क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1,2, व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है - **हाँ/नही**

8- क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है- **हाँ/नही**

9-प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है - **हाँ/नही**

10- प्रस्तावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची /प्रमाण-पत्र संलग्न है- **हाँ/नही**

11-बाँज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में संम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है- **हाँ/नही**

12- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्याधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का प्रयास किया गया है- **हाँ/ नही**

13 - संमरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रुप से काटे वाले वृक्षों की सूची संलग्न है। - **हाँ/नही**

14 – क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है। - **हाँ/नही**

15 – क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण – पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है। - **हाँ/नही**

16 - क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है। - **हाँ/नही**

17 – प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर / परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है। - **हाँ/नही**

18 – क्या परियोजना वन्य जीवों के संरक्षण के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। - **हाँ/नही**

19 – प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीड़ोर का हिस्सा है। - **हाँ/नही**

यदि हाँ तो मुख्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संळग्न है। - **हाँ/नही**

20 – क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा है। - **हाँ/नही**

21 – प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है। - **हाँ/नही**

(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे वनाया जाना है तो पूर्व जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की

(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे वनाया जाना है तो पूर्व जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)

22 – क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-2 रगों से भरा गया है। - हाँ/नही

23 - यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है। - हाँ/नही

24 – क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है - हाँ/नही

25 – यदि उल्लघंन हुआ है तो पूरण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एंव उनके विरुध्द की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।

26 – सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनायों / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये है। - हाँ/नही

27 - वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)

28-लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रुप में प्रस्तुत है (5.00 है.से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) हाँ/नही

29-मानचित्र व वारचार्ट में एकरूपता है हाँ/नही

30-मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है हाँ/नही

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है हाँ/नही

31-राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है हाँ/नही

32-क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई है तो क्या वे सत्यापित है- हाँ/नही

33-यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है- हाँ/नही

34-वित्तीय एंव प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है- हाँ/नही

35-क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है- हाँ/नही

36-क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न है- हाँ/नही

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एंव चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र / सूचनाऐं संलग्न कर दी गई है

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वनक्षेत्राधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudraprayag Forest Division

उपप्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रतिवेदन

परियोजना का नामः– मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

इस परियोजना की प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 2724 / III (2) / 15–05 (मा0मु0घो0) /2015 दि0 24-04-2015 के अन्तर्गत ग्रामीण असंयोजित बसावटों को बारहमासी सम्पर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु उक्त मोटर मार्ग की 2.00 कि0मी0 लम्बाई में स्वीकृति प्राप्त हुयी है, जिसकी धनराशी रू0 17.84 लाख है। उक्त मार्ग के संमरेखण में पड़ने वाली वन भूमि का विवरण निम्नवत् है।

क्र0सं0	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मी0 में)	चौड़ाई (मी0 में)	कुल क्षेत्रफल (है0 में)
1	आरक्षित वन भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
2	राज्य भूमि (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु	1125	7	0.7875
	(II)मक ड़म्पिगं हेतु			0.075
3	वन पंचायत भूमि मक डम्पिंग हेतु			0.023
	वनभूमि का योगः–	1125	–	0.885
4	नाप भूमि	875	9	0.7875
	कुल योगः–	2000	–	1.673

अतः वन भूमि प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे है, ताकि वन भूमि हस्तान्तरण के पश्चात् मार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

(5–B)

<u>**Autohrity Letter**</u>

Er. ***Andeep Rana,*** Assistant Engineer son of Sh. D. S. Rana is hereby authorised to upload the Land Transfer Proposal regarding Roads and Bridges of ***Construction Division, P.W.D. Ukhimath*** (Agency name) on the Goverment of India portal **www.forestclearance.nic.in** on behalf of Er. Manoj Das, Executive Engineer (head of the Instituion name /designation)

(Manoj Das)
Executive Engineer,
C.D, P.W.D. Ukhimath

P.C Attested

प्रपत्र–2

परिशिष्ट

(देखिए नियम –6)

फार्म– 'क'

1. सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1

(प्रयोक्ता एजंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण

(i)	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	:–	मा॰मु॰जी की घो॰ सं॰ 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।
(ii)	1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला डिजिटल मैप।	:–	संलग्न
(iii)	परियोजना लागत।	:–	रू॰ 18.16 लाख
(iv)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का ओचित्य।		प्रपत्र 11 (पृष्ठ संख्या) के अनुसार
(v)	लागत लाभ विश्लेषण (सलंग्न किए जाने के लिए)।	:–	लागू नही है।
(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	:–	2197 मानव दिवस (18.16×0.4÷330.6×10⁵)
2-	कुल अपेक्षित भूमि का उदेश्यवार विवरण।	:–	प्रपत्र 16 (पृष्ठ संख्या 33) के अनुसार
3-	परियोजना के कारण लोगों का हटाने का विवरण, यदि कोई है।	:–	लोगों का विस्थापन नही हो रहा है।
	(i) परिवरों की संख्या।	:–	शून्य
	(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या।		शून्य
	(iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने लिए)।		
4-	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं)	:–	नही
5-	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डसवरुप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाए)	:–	संलग्न
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों /दस्तावेजों का व्यौरा।	:–	विषय सूची के अनुसार संलग्न है

(इं॰ मनोज दास)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

तिथि 17/02/2020

स्थान ऊखीमठ

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या ....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाना है)

प्रपत्र–3

भाग–2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या..

7. परियोजना/स्कीम का स्थान :– मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र। :– उत्तराखण्ड

(ii) जिला :– रुद्रप्रयाग

(iii) वन प्रभाग :– रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

(iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टे.में) :–0.885 है.

(v) वन की कानूनी स्थिति :– राज्यभूमि / पंचायती वन भूमि

(Vi) हरियाली का घनत्व :– 20-30%.

(Vii) प्रजाति–वार (वैज्ञानिक नाम)और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.–2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल. –4 मीटर भी संलग्न किए जाए)। :– सूची संलग्न है।

(vii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। :– भूक्षरण की सम्भावना नही है।

(viii) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी :– 1.50Km.

(x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणी अनुबंधित की जाए) :– नही

(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न विशिष्ठ प्रजातियां पाइ जाती है। यदि हां/ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें। :– नही

(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरात्ततीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें। :– नही

8- प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है। :– प्रस्तावित वनभूमि न्यूनतम है प्रमाण-पत्र संलग्न है।

9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गइ कार्रवाई सहित कार्य का व्यौरा दे क्या उल्लघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं। :– मार्ग निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नही किया है अतः कोई उल्लंगन नही हुआ है।

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा :– संलग्न

(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस–पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या प्रत्येक :– संलग्न

(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर /अवक्रमित वन क्षेत्र और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। :– संलग्न

	सीमाओं को दर्शाता मैप।		
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजाति सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	:–	संलग्न
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	:–	संलग्न
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धी उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	:–	संलग्न
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए(संलग्न करें)	:–	संलग्न
12.	प्रभाग /जिला प्रोफाइल	:–	रुद्रप्रयाग वन प्रभाग / रुद्रप्रयाग
(i)	जिले का वन क्षेत्र	:–	1984 वर्ग किमी / 1790.995 वर्ग किमी
(ii)	मामलों की संख्या सहित1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	:–	193 case, 703.727 hae.
(iii)	1980 से जिला /प्रभाग मे निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	:–	1490.704 hae.
(क)	दण्ड के रुप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	:–	X
(ख)	वनेत्तर भूमिपर	:–	
(अ)	....2019....तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	:–	
(क)	वन भूमि पर	:–	1490.704 hae.
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	:–	
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	:–	परियोजना विकास कार्यों से सम्बन्धित है. सिफारिश की जाती है

वन क्षेत्राधिकारी

Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudraprayag Forest Division

दिनांक :–
स्थानः–

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

भाग 3

(संम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14.	स्थल, जंहा की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन सरंक्षक ने निरीक्षण किया है (हां / नही) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेणों को, निरीक्षण नोट के रुप में संलग्न करें।	:–
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।	:–
16.	प्रस्ताव को स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबन्धित वन सरंक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	:–

हस्ताक्षर

दिनांकः–
स्थानः–

नामः–
सरकारी मोहर

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणी के साथ प्रस्ताव वन स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।	:–
(राय देते समय, सम्बन्धित वन सरंक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेकात्मक टिप्पणी दी जाए।)	:–

,हस्ताक्षर

दिनांकः–
स्थानः–

नामः–
सरकारी मोहर

भाग V

18. राज्य सरकार सिफारिश। :–

(उपर्युक्त भाग ।। या भाग ।।। या भाग प्ट में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय) :–

हस्ताक्षर

दिनांकः–
स्थानः–

नामः–
सरकारी मोहर

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीच का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

प्रपत्र-5

परियोजना का नामः– **मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।**

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/ विभागध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

(3) (11)

संख्या– 2724 / III(2)/15–05(मु0म0घो0)/2015

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

देहरादूनः दिनांकः 24 अप्रैल, 2015

लोक निर्माण अनुभाग–2 वित्तीय वर्ष 2015–16 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत

विषयः– विभिन्न 63 कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0
उत्तराखण्ड द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध
कराये गये विभिन्न 63 कार्यो के प्रारम्भिक आगणनों पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत
₹ 3726.21 लाख (₹ सैंतीस करोड़ छब्बीस लाख इक्कीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान
करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में संलग्नक के कौलम सं0–5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10
लाख अर्थात कुल 63 कार्यो हेतु ₹ 6.30 लाख (₹ छः लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन
में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा
तदोपरान्त शासनादेश सं0–1764 / III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को
जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार
अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न
किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत
आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एव लोक निर्माण विभाग
द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद्र में किया जाय, एक मद का दूसरी
मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर
निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का
भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047 / XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा
निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध मे
यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य
सड़कें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण –00–24 वृहत निर्माण
कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

12

(ix)— स्वीकृत किये जा रहे कार्यो की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)— वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31—03—2016 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तद्नुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015—16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0—22—लेखाशीर्षक—5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—04 जिला तथा अन्य सड़कें —आयोजनागत —800—अन्य व्यय—03 राज्य सेक्टर—02 नया निर्माण कार्य—24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) **यह आदेश वित्त अनुभाग—2 के अशासकीय संख्या— 36/XXVII/(2)/2015 दि0— 22 अप्रैल, 2015 को प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

संलग्नकः— यथोपरि।

393
SMG
21/09/2015

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्याः— 2724 / III(2)/15—05(मु0मं0घो0)/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

SMG 21/9/15

19/9/15

P.C Attested

सहायक अभियन्ता
निमार्ण खण्ड लो0 नि0 वि0
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

शासनादेश संख्या:– 2724/III(2)/15–05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 24 अप्रैल, 2015 का सलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई किमी0 में	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 272/2015 के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड ऊखीमठ के अन्तर्गत मस्ता से रिणकोट –कालीमठ वैकल्पिक मोटर मार्ग व पुल का निर्माण।	7.00 + 3 No.	71.72	0.10
2	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 278/2015 के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र–केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनी के अन्तर्गत ग्राम ऐरा (सेरा) के नीचे क्यूंजा गाड पर पैदल पुल का निर्माण कार्य।	30 mt	1.20	0.10
3	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–553/2015 के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र–केदारनाथ के विकास खण्ड, अगस्तमुनि में भण्ज–ग्वाड़–मधकण्डी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	17.72	0.10
4	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–553/2015 के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र–केदारनाथ के विकास खण्ड, अगस्तमुनि में चन्द्रापुरी–गुगली मोटर मार्ग के ककोला से सेरा–टकसैली मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00	18.16	0.10
5	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–553/2015 के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र–केदारनाथ के विकास खण्ड, अगस्तमुनि में नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	18.16	0.10
6	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–553/2015 के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र–केदारनाथ के विकास खण्ड, अगस्तमुनि में बेडूबगड़–जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	17.82	0.10
7	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–553/2015 के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र–केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्तमुनि में क्यार्क–बरसूड़ी–भैरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	17.84	0.10
8	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–553/2015 के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र–केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्तमुनि में जाबरी–पाटियों–मुनासू–मौली–कलई–कैड़ा– चन्दनगर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	44.30	0.10
9	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–817/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र–जागेश्वर में अल्मोड़ा–शहरफाटक मोटर मार्ग के गड़पानी से ग्राम बजेठी–ग्वालदलयां अनु. जाति बस्ती तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	5.00	42.58	0.10
10	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–884/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र–जागेश्वर के विकास खण्ड लमगड़ा में चौमू से कलसीगा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	3.00	24.70	0.10

शासनादेश संख्या:– 2724 / 111(2) / 15–05(मु0मं0घो0) / 2015 दिनांक 24 अप्रैल, 2015 का संलग्नक

11	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–852 / 2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–कपकोट के जिला पंचायत क्षेत्र सुमौली के ग्राम ग्वातोली में करीमपुर से ग्राम मउडियार तक मोटर मार्ग तथा स्वतन्त्रता संग्राम सेनी श्री राम दत्त जोशी के गांव को वनलेख मोटर मार्ग से मिलाने हेतु मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	21.78	0.10
12	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–863 / 2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर में ग्राम पंचायत जाख में खीरी नामक स्थन पर 40 मी. पैदल लौह सेतु का निर्माण कार्य।	40 mt	5.58	0.10
13	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–803 / 2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर में गढ़खेत मोटर मार्ग के स्थान पर सोलिया बजानी से मैजुलिया 5.00 किमी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00 + 1 No	94.75	0.10
14	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–802 / 2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर में मल्ला गढ़खेत से तल्ला गढ़खेत तक 4.00 कि.मी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	75.24	0.10
15	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–862 / 2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर में लाहूर नदी में ग्राम पंचायत नैकाना सुमाटिया, कालरौ, बैगांव, छानिसेरा व दाड़िमखेत के मध्य झूला पुल का निर्माण कार्य।	70 mt	6.78	0.10
16	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–798 / 2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर में तुकरा से सैलकुना तल्ला गढ़खेत तक 8.00 कि.मी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	8.00 + 02 Brg	151.88	0.10
17	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–864 / 2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर में घाघली नदी में ग्राम मवई, बज्यूला, अमस्यारी, घेटी व मिलकोट के मध्य 80 मी. झूला पुल का निर्माण कार्य।	80 mt	8.98	0.10
18	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–857 / 2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर में टिटोली से बैंगा तक 2.00 कि.मी. लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00 + 35 mt	37.62	0.10
19	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–866 / 2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर में ग्राम अमसयारी के टिटोली तोक के ग्राम पंचायत बैंगा तक 5. 00 कि.मी. मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	5.00	94.05	0.10
20	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–863 / 2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर में तुकरा से सैलकुना– गढ़खेत मोटर मार्ग का 15.00 किमी. नवनिर्माण का कार्य।	15.00	282.15	0.10
21	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–804 / 2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर में गरूड़ बागेश्वर मोटर मार्ग में स्थान फटगली से घमोली, मालूणल–ओखल्सों 10.00 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण।	10.00	148.50	0.10

शासनादेश संख्या:– 2724/ III(2)/15–05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 24 अप्रैल, 2015 का संलग्नक

22	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–854/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर में बागेश्वर–ल्हासा (तिब्बत) पैदल को बागेश्वर नगर से लगे भागीरथी गांव से धरमघर तक हल्का वाहन मार्ग के रूप में विकसित करने का कार्य।	50.00	412.50	0.10
23	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–321/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र–चौबट्टाखाल के विकास खण्ड पौखड़ा में हलूणी–गवाणा तल्ला–देवलदेव–काण्डई मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	14.00	112.64	0.10
24	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–322/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र–चौबट्टाखाल के विकास खण्ड पौखड़ा में घंडियाल– कनोठखाल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	32.18	0.10
25	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–327/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र–चौबट्टाखाल के विकास खण्ड पौखड़ा में चौबट्टाखाल दमदेवल मोटर मार्ग से ग्राम अन्द्पुर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.500	20.12	0.10
26	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–109/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र–नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट में हरतोला मुख्य मोटर मार्ग से माँ कोकिला देवी मंदिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.00	17.55	0.10
27	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–110/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र–नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट में तांहाली डोडीधूरा मोटर मार्ग रा.इ. का. से अटा.वृत्ता, आटाखेंन, करछिया, पातली से रूपसिंह धूरा मोटर मार्ग कतक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	8.00	46.80	0.10
28	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–233/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र–नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट में भुजान–बेतालघाट मोटर मार्ग के कि.मी. 1 में कुजगढ़ नदी पर स्टील पुल का निर्माण।	75 mt	8.25	0.10
29	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–100/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र–नैनीताल में नैनीताल–धूधूखान सौंड़ मोटर मार्ग के किमी0–7 में नरेश्वर गधेरे पर 24 मी. स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य।	24 mt	1.68	0.10
30	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–101/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र–नैनीताल [illegible] तल्ला बगड हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए सुधारीकरण/डामरीकरण का कार्य।	6.00	32.70	0.10
31	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–635/2014 के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र–रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनी में डडोली से डोबा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	7.00	63.70	0.10
32	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 402/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–थराली के विकास खण्ड घाट में नन्दप्रयाग–मेहरबगटी–संकड़–धारकोट मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	9.00	125.55	0.10

शासनादेश संख्याः– 2734/III(2)/15–05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 27 अप्रैल, 2015 का संलग्नक

59	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–442/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र–यमकेश्वर के अन्तर्गत जोलग्वार से सार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.50	20.66	0.10
60	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–450/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र–यमकेश्वर के अन्तर्गत घत्तेक– धरगांव मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	5.00	70.65	0.10
61	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–744/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र–प्रतापनगर के अन्तर्गत घनसाली–टिहरी–प्रतापनगर से जखिण्डा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	62.15	0.10
62	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 625/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र –रायपुर में नवगठित ग्राम सभा मगलूवाला में बारातघर व सड़कों का निर्माण कार्य।	-	1.92	0.10
63	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–600/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र–रायपुर में नालापानी राव नाले पर दो लेन सेतु का निर्माण कार्य।	1 No.	4.95	0.10
	योगः–	311.00 + 16 Brg	3726.21	6.30

(कुल रु छः लाख तीस हजार मात्र)

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

P.C Attested

सहायक अभियन्ता
निमार्ण खण्ड लो0 नि0 वि0
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

प्रपत्र – 6

परियोजना का नामः– **मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।**

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनाँक 08–05–2019 को राज्य भूमि में प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री भरत सिंह राणा (वन दरोगा), एंव राजस्व विभाग की ओर से श्री कुलि सिंह राणा (रा0उ0नि0 गुप्तकाशी) एंव लोक निर्माण विभाग की ओर से श्री मानसिंह (अपर सहायक अभियन्ता), श्री दीपक पंवार (अमीन) द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त परियोजन हेतु निम्नानुसार पंचायती/राज्यभूमि 0.7875 है0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु एंव 0.0975 है0 मक ड़म्पिगं हेतु अर्थात् कुल 0.885 है0 वनभूमि प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है, आवेदित वनभूमि की माँग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु लोक निर्माम विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प / संरेखण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत परियोजना जनहित में किया जाना है, व इस परियोजना के निर्माण से ...2... गाँव व ...340... जनसंख्या लाभाविन्त होगी।

आवेदित वनभूमि में 129 व नापभूमि में 102 वृक्षों का पातन निहित है। जिसकी प्रजातिवार / व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

राजस्व उप निरीक्षक

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

वनक्षेत्राधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudraprayag Forest Division

उपप्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-7

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Ukhimath (For diversion under FCA-1980) of **0.885** *ha.* of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for improvement of **Narayankoti to Kotheda–Devshal motor road** The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated--------.

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Protect forest measuring **0.885** *ha.g*

The requirement of forest land as proposed by the user agency in col. 2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of:-

Whether any protected archeological/heritage site/defense establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required:-

a). The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act. 1980 and no work has been started without proper sanction.

b). It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act. 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, para C of Handbook of forest (Conservation), Act. 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the p roposal.

(Singnature)

Place----------------
Date-----------------

Name--------------------------
Designation-------------------
Office Seal--------------------

N.B. X State the purpose of witich the forest land is proposed to be diverted.

XX Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required

जियोरेफेरेन्स मैपः– मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा सं0 553/2015 के अंतर्गत नारायणकोट–कुठेड़ा–देवसाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

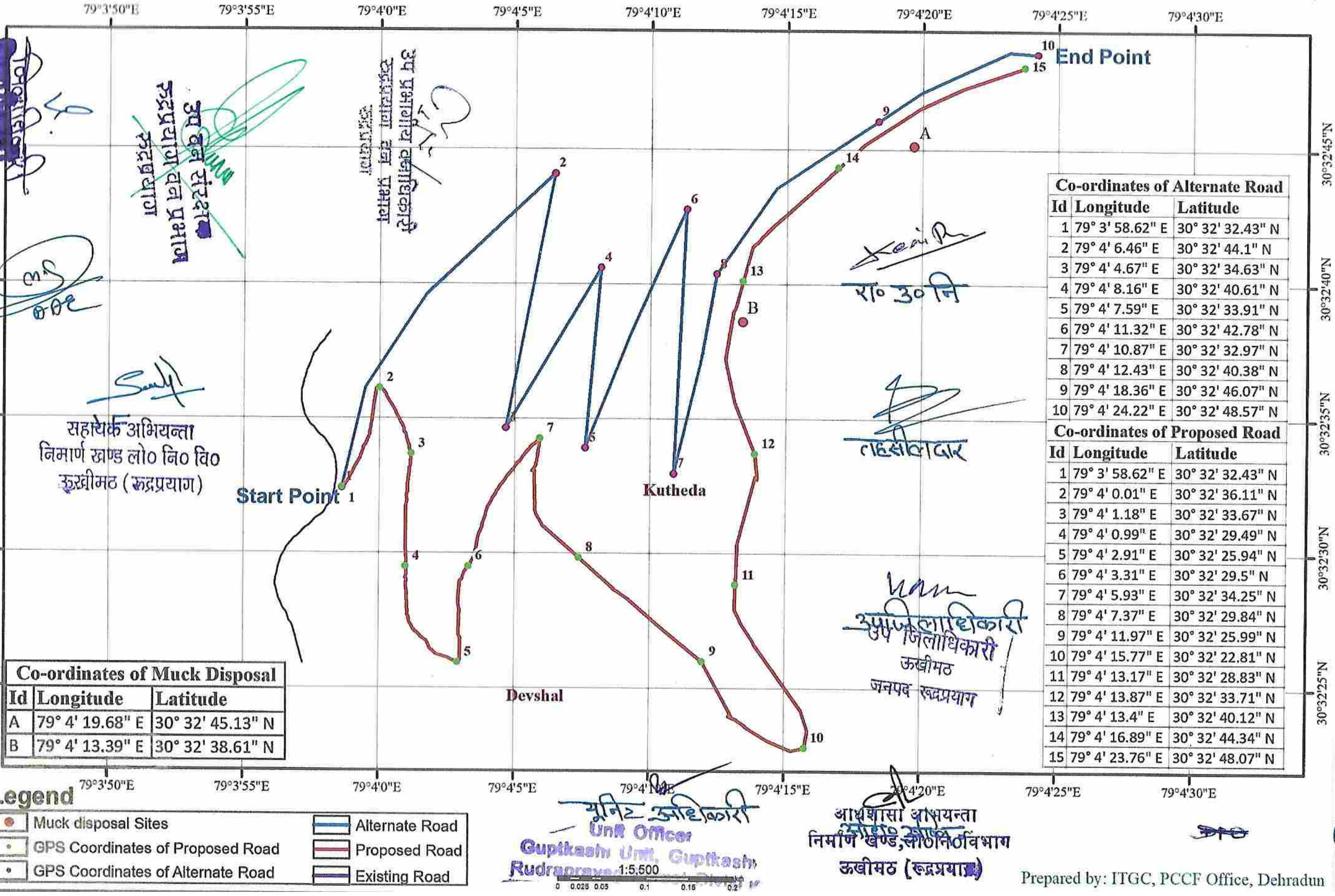

Co-ordinates of Muck Disposal		
Id	Longitude	Latitude
A	79° 4' 19.68" E	30° 32' 45.13" N
B	79° 4' 13.39" E	30° 32' 38.61" N

Co-ordinates of Alternate Road		
Id	Longitude	Latitude
1	79° 3' 58.62" E	30° 32' 32.43" N
2	79° 4' 6.46" E	30° 32' 44.1" N
3	79° 4' 4.67" E	30° 32' 34.63" N
4	79° 4' 8.16" E	30° 32' 40.61" N
5	79° 4' 7.59" E	30° 32' 33.91" N
6	79° 4' 11.32" E	30° 32' 42.78" N
7	79° 4' 10.87" E	30° 32' 32.97" N
8	79° 4' 12.43" E	30° 32' 40.38" N
9	79° 4' 18.36" E	30° 32' 46.07" N
10	79° 4' 24.22" E	30° 32' 48.57" N

Co-ordinates of Proposed Road		
Id	Longitude	Latitude
1	79° 3' 58.62" E	30° 32' 32.43" N
2	79° 4' 0.01" E	30° 32' 36.11" N
3	79° 4' 1.18" E	30° 32' 33.67" N
4	79° 4' 0.99" E	30° 32' 29.49" N
5	79° 4' 2.91" E	30° 32' 25.94" N
6	79° 4' 3.31" E	30° 32' 29.5" N
7	79° 4' 5.93" E	30° 32' 34.25" N
8	79° 4' 7.37" E	30° 32' 29.84" N
9	79° 4' 11.97" E	30° 32' 25.99" N
10	79° 4' 15.77" E	30° 32' 22.81" N
11	79° 4' 13.17" E	30° 32' 28.83" N
12	79° 4' 13.87" E	30° 32' 33.71" N
13	79° 4' 13.4" E	30° 32' 40.12" N
14	79° 4' 16.89" E	30° 32' 44.34" N
15	79° 4' 23.76" E	30° 32' 48.07" N

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

रा0 उ0 नि

तहसीलदार

उप जिलाधिकारी
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

यूनिट अधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudraprayag

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

DFO

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

डिजिटल मैपः– मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा सं0 553/2015 के अंतर्गत नारायणकोट–कुठेड़ा–देवसाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

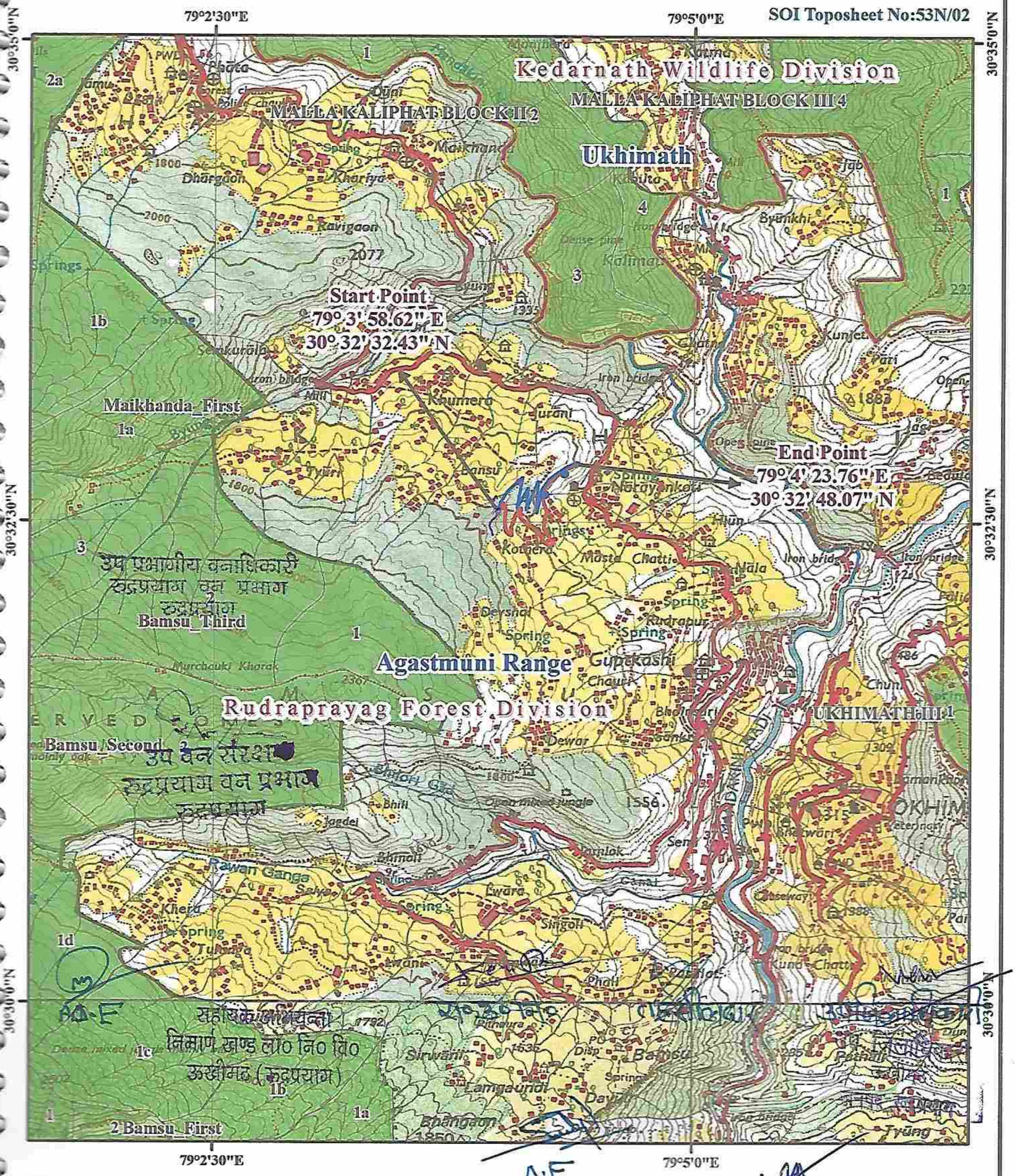

उप प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो० नि० वि० ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Legend

Muck disposal Sites	Reserve Forest Area
Existing Road	Reserve Forest Boundary
Alternate Road	Forest Division Boundary
Proposed Road	

0 0.25 0.5 1 1.5 2 Km

Scale-1:50,000

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

A.E

वन क्षे० Unit Officer Guptkashi Unit, Guptkashi Rudraprayag Forest Division

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-11

परियोजना का नामः– मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

वनभूमि की माँग का औचित्य का प्रमाण - पत्र

जनपद–रूद्रप्रयाग में विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड ऊखीमठ में ग्राम–देवशाल (कुठेड़ा) (कुल आबादी 340) वर्तमान में मोटर मार्ग से वंचित होने के कारण स्थानीय जनता को मूलभूत सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, के लिये पैदल चलना पड़ता है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम– देवशाल(कुठेड़ा) जो कि वर्तमान में सड़क यातायात से वंचित है, वे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 के कि0मी0 47 से जुड़ जायेगा जिससे स्थानीय जनता का सम्पर्क तहसील मुख्यालय, ब्लाक तथा चिकित्सालय से स्थापित हो जायेगा।

अतः ली गयी 0.885 है0 राज्य/पंचायती भूमि न्यूनतम है। समरेखण का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से कम से कम वनभूमि प्रभावित हो तथा न्यूनतम वृक्षों का पातन हो।

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वनक्षेत्राधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudraprayag Forest Division

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उपप्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग
रूद्रप्रयाग

प्रपत्र-13

परियोजना का नामः– **मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।**

वैकल्पिक संमरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु विभिन्न उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया गया व वर्तमान विकल्प को सर्वदा उपयुक्त पाया गया।

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वनक्षेत्राधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudraprayag Forest Division

उपप्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

संरेखण आख्या

कार्य का नामः— माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या—553 / 2015के अर्न्तगत विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड उखीमठ में नारायणकोटी कुठेडा देवशाल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य ।

मार्ग की स्वीकृतिः— शासनादेश संख्या 2724 / III(2) / 15—05(मु0मं0घो0 / 15 दिनांक 23 —04— 2015।

स्वीकृत लम्बाई :— 2.00 कि॰मी॰ (वास्तविक लम्बाई 2.400 कि॰मी॰)

स्वीकृत लागत :— 18.16 लाख।

संरेखण की उपयोगिताः—जनपद रुद्रप्रयाग में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अर्न्तगत नारायणकोटी कुठेडा देवशाल मोटर मार्ग 2.00 किमी॰ लम्बाई हेतु शासनादेश संख्या 2724 / III(2) / 15—05(मु0मं0घो0 / 15 दिनांक 23 —04— 2015 द्वारा प्रथम चरण हेतु रू.18.16 लाख की वित्तीय एवं प्रसासनिक स्वीकृती प्राप्त है। यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 107 के कि॰मी॰ 47 से प्रस्तावित है।. ग्राम कुठेडा व देवशाल मोटर मार्ग से न जुडे होने के कारण ग्रामवासीयो को पैदल चलना पड़ता है। स्वीकृत मार्ग के निर्माण हो जाने से उक्त दोनो राजस्व ग्राम जो कि वर्तमान में सड़क यातायात से वंचित है ग्राम नारायणकोटी होते हुए राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या 107 से जुड जायेगा व उपर की तरफ से गुप्तकाशी जाखधार मोटर मार्ग के कि॰मी॰ 5 से जुड जायेगा। इस प्रकार नारायणकोटी से जाखधार व चारधाम हेलीपैड तक जाने हेतु एक लिंक मार्ग बन जायेगा जिससे नारायणकोटी से चारधाम हेलीपैड द्वारा श्रीकेदारनाथ दर्शन हेतु जाने वाले यात्री जो कि वर्तमान में गुप्तकाशी से होकर चारधाम हेलीपैड तक जाते है, को सुगम यातायात प्राप्त होगा । इस मार्ग के निर्माण से विभिन्न ग्रामो जैसे त्युडी,बणसु,कुठेडा व देवशाल की स्थानीय जनता जो की वर्तमान में ग्राम फाटा की तरफ जाने हेतु गुप्तकाशी से होकर जाते है को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। मार्ग का संरेखण नं॰ 2 जिस पर स्थानीय ग्रामवासियों की भी सहमति नही है एवं इस संरेखण में खड़ी एवं कठोर चट्टान आ रही है, प्रस्तावित संरेखण 2 में लगभग 6 एच॰पी॰बैण्ड पडेंगे जो की वरिष्ठ भू—वैज्ञानिक द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान तकनीकी दृष्टि से गलत बताया गया। यातायात एवं तकनीकी दृष्टि से भी यह उपयोगी नहीं है। संरेखण नम्बर 1 जो लाल रंग से कन्टूर प्लान में अंकित है। [redacted] तकनीकी दृष्टि से एवं किसी भी प्रकार का अन्य व्यवधान न होने के कारण संरेखण नं॰ 1 पर ही मोटर मार्ग प्रस्तावित करना उचित होगा। इस प्रस्तावित मोटर मार्ग के संरेखण में काससेक्सन 1 / 2, 1 / 24,1 / 36 2 / 10 पर कुल 4 H.P. बैंड आते है व इस मार्ग हेतु ग्रामवासियों की सहमति भी प्राप्त है। वरिष्ठ भू—वैज्ञानिक द्वारा भी यह संरेखण उपयुक्त माना गया है।

संरेखण का विवरणः—इस प्रकार सर्वे आफ इण्डिया के कन्टूर, मानचित्र पर प्रस्तावित समरेखण क्रमशः नं॰ 1 लाल एवं नं॰ 2 हरे रंग से दर्शाये गये हैं तथा तुलनात्मक विवरण के अनुसार प्रस्तावित संरेखण (1) ही उचित है।
अतः प्रस्तावित संरेखण नं॰ 1 संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु प्रेषित है।

अपर सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड,लो॰नि॰वि॰, ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड,लो॰नि॰वि॰, ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड,लो॰नि॰वि॰, ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।

P.C Attested
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

(23)

तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखंण (1) लाल रंग में	समरेखंण (2) हरा रंग में
1.	मुख्य विशेषताऐं एवं विवरण	यह सरेंखण जनपद रुद्रप्रयाग में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अर्न्तगत नारायणकोटी कुठेडा देवशाल मोटर मार्ग हेतु 2.00 किमी.लम्बाई में स्वीकृत है। ग्राम कुठेडा व देवशाल राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या 107 से काफी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण स्थानीय जनता को पैदल चलना पड़ता है। स्वीकृत मार्ग के निर्माण हो जाने से उक्त राजस्व ग्रामों जो कि वर्तमान में सड़क यातायात से वंचित है वे राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या 107 के कि.मी. 47 से जुड जायेगें।	समरेखण नं. 1 के अनुसार
2.	प्रास्तवित दृष्टिकोण से समरेंखण की लम्बाई	2.4000 किमी.	3.00 किमी.
3.	वर्तमान यातायात के साधन	पैदल मार्ग	पैदल मार्ग
4.	भूमि (अ) सिविल भूमि (ब) कृषि योग्य भूमि 1. सिंचित 2. असिंचित	 1.150 किमी. 1.25 शून्य	1.200 किमी. 1.800 किमी. शून्य
5.	सूर्य प्रकाशित भूभाग	सम्पूर्ण लम्बाई में	सम्पूर्ण लम्बाई में
6.	भूस्खलन	शून्य	शून्य
7.	भूमि	मिटटी, पत्थर, कठोर चट्टान आदि	मिटटी, पत्थर, अत्यधिक खडी, कठोर चट्टान आदि
8.	वनस्पति	पैड पौधे	पैड़ पौधे
9.	मार्ग का ढाल	5.00 प्रतिशत	6.00 प्रतिशात
10.	अनुप्रस्थ ढाल– 1. सामान्य ढाल 2. तीव्र ढाल	 1.900 कि.मी. 0.500 कि.मी.	 1.500 कि.मी. 1.500 कि.मी.

PWD-Peel-3

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1	2	3	4
11.	भू–भाग 1. कठोर चट्टान 2. कोमल चट्टान	0.100 कि॰मी॰ 2.300 कि॰मी॰	1.500 कि॰मी॰ 1.500 कि॰मी॰
12.	अस्थिर भूमि की लम्बाई	शून्य	शून्य
13.	साधन 1. लकडी 2. पत्थर 3. मजदूर	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता
14.	पानी का निकास (अ) छोटे पुल संख्या व विस्तार (अ) बडे पुल संख्या व विस्तार	2 न॰ स्पान 4.00 मी0 शून्य	01 न॰ शून्य
15.	वर्षा एवं जलवायु की दशा	मार्ग सर्व ऋतु योग्य रहेगा। ठंडी जलवायु	समरेखण नं॰ 1 अनुसार
16.	लाभांविन्त ग्रामों की संख्या (अ) प्रत्यक्ष रुप से (ब) अप्रत्यक्ष रुप से	ग्राम का नाम कोड सं॰ जनसंख्या एस॰सी॰ कुठेढा 042102 0.00	समरेखण नं॰ 1 अनुसार —
17.	वर्तमान मार्ग से प्रस्तावित मार्ग का सम्बन्ध	यह सरेंखण जनपद रुद्रप्रयाग में रुद्रप्रयाग में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अर्न्तगत नारायणकोटी कुठेडा देवशाल मोटर मार्ग की 2.00 किमी॰ ग्राम कुठेडा व देवशाल राष्ट्रीय राज्यमार्ग ख्या 107 से काफी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण स्थानीय जनता को पैदल चलना पडता ! इस मार्ग के निर्माण से कुठेडा देवशाल दोनो राजस्व ग्राम राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या 107 के कि॰मी॰ 47 से जुड जायेगें। जिससे इन ग्रामो की जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी।	समरेखण नं॰ 1 अनुसार

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1	2	3	4
18.	सामरिक महत्व	मुख्य मार्ग से जुड़ जाने के कारण मार्ग का संचार सम्बन्धी सुविधा होगी।	समरेखण नं॰ 1 अनुसार
19	हेयर पिन बैण्ड	4 नं॰	6 नं॰
20	कृषि एवं फल की दृष्टि से महत्व	क्षेत्र की मुख्य पैदावर जैसे आलू,माल्टा, नीबू, नारंगी व, दालो आदि का ढुलान में आसानी होने के कारण स्थानिय बाजार में अपनी फसल शीघ्र पहुचाने की सुविधा मिलेगी।	समरेखण नं॰ 1 अनुसार
21.	वन सम्पदा का उपयोग	जड़ी बूटी एवं अन्य वन सम्पदा का संरक्षण हो सकेगा।	समरेखण नं॰ 1 अनुसार
22.	खनिज सम्पदाओं का उपयोग।	खनिज सम्पदाओं का पता लगाने में मदद मिलेगी तथा खनिज का निर्यात होने से क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा।	समरेखण नं॰ 1 अनुसार
23.	लाभ व हानि	1. कठोर चट्टान कम पड़ेगी। 2. ग्राम वासियों के मकानों को कोई क्षति नहीं होगी। 3. मार्ग पर 4 न॰ H.P. बैंड पडते है। 4. तकनीकी दृष्टि से यह संरेखण उपयोगी है। 5. इस सरेखण से ग्रामवासी भी पूर्ण रूप से सहमत है।	1. कठोर चट्टाने अधिक पड़ेगी। 2. ग्राम वासियों के मकानों के क्षति होने की सम्भावना है। 3. मार्ग पर 6 न॰ न॰ H.P. पडते हैं। 4. सिविल वन भूमि व खडी चट्टान अधिक पडने, मकानों के ऊपर मलवा आने की सम्भावना के कारण स्थानीय जनता इस संरेखण से सन्तुष्ट नहीं है। 5. भूस्खलन होने की सम्भावना के कारण मार्ग तकनीकी दृष्टि से भी उपयोगी नहीं है।

P.C Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो॰नि॰वि॰,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो॰नि॰वि॰,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो॰नि॰वि॰,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सारांश

संलग्न तुलनात्मक विवरण से स्पष्ट है कि संरेखण नं॰ (1) जो कि लाल रंग से दर्शाया गया है,, आर्थिक, भौगोलिक एवं तकनीकि रूप से उपयोगी है तथा इस प्रस्तावित संरेखण से ग्राम देवशाल की जनता सन्तुष्ट है।

अतः प्रस्तावित समरेखण न॰ (1) जो मानचित्र में लाल रंग से दृर्शाया गया है, संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु प्रेषित है। मार्ग केवल 2.400 किमी॰ लम्बाई में निर्मित होना है, निर्माण कार्य कोमल चट्टान, कृषि भूमि आदि में किया जाना है।

अतः प्रस्तावित समरेखण नं॰ 1 जो कि लाल रंग से अंकित है, अनुमोदन करने की कृपा करें।

P.C Attested
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो॰नि॰वि॰,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो॰नि॰वि॰,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो॰नि॰वि॰,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी वैकल्पिक समरेंखण को कार्य स्थल पर मेरे द्वारा दर्शायी गई तिथि को निरीक्षण के समय देख लिया गया है। तथा प्रस्तावित समरेंखण कार्य स्थल की तकनीकि दृष्टि से उचित है।

1. कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि ....1/11/2017....
2. सहायक अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि....1/11/2017....
3. अधिशासी अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि....1/11/2017....

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो॰नि॰वि॰,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो॰नि॰वि॰,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो॰नि॰वि॰,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

P.C. Attested
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

(28)

परियोजना का नामः— मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण उसके निरस्त किये जाने का कारण का प्रमाण पत्र

संरेखण नम्बर	प्रभावित वन भूमि (है॰में)	प्रभावित वृक्षा की संख्या	मार्ग की लम्बाई (कि॰मी॰ में)	अन्य कारण (एच॰पी॰बैण्ड व अन्य भू—गर्भीय कारण)
संरेखण—1	**0.885**	**129**	**2.00**	-
संरेखण—2	1.8214	200	2.5	6 एच0पी0 बैण्ड़

उक्त दोनों समरेखणों मे से समरेखण न0 1 (एक) उपयुक्त है।

अपर सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-14

परियोजना का नामः– **मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।**

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजन हेतु आवेदित राज्य भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित ~~वन~~ भूमि **0.885** है॰ की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

राजस्व उप निरीक्षक

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

वनक्षेत्राधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudraprayag Forest Division

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-15

लैन्ड़ शैड्यूल
(संरक्षित / आरक्षित वन भूमि)

परियोजना का नामः– **मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।**

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	वन भूमि में परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (है0)
←			शून्य			→

अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वनक्षेत्राधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudraprayag Forest Division

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उपप्रभागीय वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-15.1

लैन्ड् शैड्यूल

परियोजना का नामः– मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

भूमि की श्रेणीः–

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा संख्या	कुल रकवा	वन भूमि में परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (है0)
रुद्रप्रयाग	ऊखीमठ	ऊखीमठ	338 118	15.213 19.816	1125	7	0.7875 मोटर मार्ग निर्माण हेतु + 0.0975 मक ड़म्पिगं हेतु = 0.885

अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

राजस्व उप निरीक्षक

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-16

परियोजना का नामः– मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

परियोजना की लम्बाई चौड़ाई का विवरण।

क्र0सं0	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मी0 में)	चौड़ाई (मी0 में)	कुल क्षेत्रफल (है0 में)
1	आरक्षित वन भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
2	राज्य भूमि (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु (II)मक ड़म्पिगं हेतु	1125	7	0.7875 0.0750
				0.023
3	वन पंचायत भूमि मक डम्पिग हेतु			
	वनभूमि का योगः–	**1125**	–	**0.885**
4	नाप भूमि	875	9	0.7875
	कुल योगः–	**2000**	–	**1.673**

अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-17

परियोजना का नाम:– **मा॰मु॰जी की घो॰ सं॰ 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।**

बारचार्ट का प्रारुप

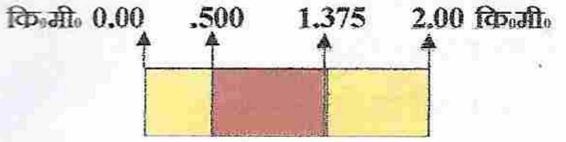

संकेत तालिका

भूमि की श्रेणी	रंग	क्षेत्रफल (हे॰ में)
आरक्षित वनभूमि	शून्य	शून्य
राज्य भूमि		0.7875 मोटर मार्ग निर्माण हेतु + 0.075 मक ड़िस्पोजल हेतु = 0.8625
पंचायती वनभूमि		मक डिस्पोजल हेतु 0.023
नाप भूमि		0.7875

अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

राजस्व उप निरीक्षक

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

वनक्षेत्राधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudraprayag Forest Division

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-18

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नामः– मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नही किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकति होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वनक्षेत्राधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudraprayag Forest Division

उपप्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

प्रपत्र-19

परियोजना का नामः– मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनाँक 08–05–2019 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार राज्यभूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गयी।:–

राज्य भूमि पर प्रभावित होने वाले पेड़ो का विवरण

क्र॰सं॰	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			0.10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	नारायणकोटी सिविल	चीड़	01	02	16	10	01	–	–	–	–	–	30
2		उत्तीस	–	–	–	–	01	–	–	–	–	–	01
3		लम्पत्ता	–	02	01	–	–	–	–	–	–	–	03
4		तुन	–	01	01	01	–	–	–	–	–	–	03
5		बाँज	01	02	–	–	–	–	–	–	–	–	03
6		पदम	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	01
7		अंगा	01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	01
8		मोरू	–	01	–	–	–	–	–	–	–	–	01
9		मणिपुरी बाँज	–	02	01	04	01	–	–	–	–	–	08
10		पापुलर	–	–	–	–	02	–	–	–	–	–	02
11	कुठेड़ा सिविल (मकड़म्पिगं–II)	अंगा	–	03	–	–	01	–	–	–	–	–	04
12		बकैन	–	–	–	01	–	–	–	–	–	–	01
13		उत्तीस	–	–	01	01	–	–	–	–	–	–	02
14		बाँज	04	07	04	–	–	–	–	–	–	–	15
15		मोरू	–	02	–	–	–	–	–	–	–	–	02
16		कुकाट	–	02	01	–	–	–	–	–	–	–	03
17		तुन	–	01	–	–	–	–	–	–	–	–	01
18		पापुलर	–	01	02	06	04	–	–	–	–	–	13
	सिविल भूमि देवशाल	बाँज	03	03	04	02	01	–	–	–	–	–	13
20		मणिपुरी बाँज	–	02	04	02	–	–	–	–	–	–	08
21		तुन	–	03	01	–	–	–	–	–	–	–	04

R.S. R.I.

Teh.

तहसीलदार छत्तीगढ़ जनपद रुद्रप्रयाग

(S.D.M.)

22		अंयार	–	–	01	02	01	–	–	–	–	–	**04**
23		उत्तीस	–	–	01	01	–	–	–	–	–	01	**03**
24		मेहल	–	01	–	–	–	–	–	–	–	–	**01**
25		बुरांश	–	–	–	–	–	–	01	–	–	–	**01**
26		कुकाट	–	–	–	01	–	–	–	–	–	–	**01**
	योगः-		**10**	**35**	**39**	**31**	**12**	**–**	**01**	**–**	**–**	**01**	**129**

वनक्षेत्राधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudraprayag Forest Division

उपप्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

तहसीलदार
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ

AA.E

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-1920

परियोजना का नाम:– **मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।**

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनाँक 08–05–2019 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार नापभूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्राभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गयी।:–

नापभूमि पर प्रभावित होने वाले पेड़ो का विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			0.10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	नापभूमि कुठेड़ा	खड़ीक	–	03	06	04	–	01	–	–	01	–	15
2		तिमला	–	03	02	01	–	–	–	–	–	–	06
3		माल्टा	03	10	–	–	–	–	–	–	–	–	13
4		पीपल	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	01
5		पदम	–	01	06	–	–	–	–	–	–	–	07
6		अंयार	–	01	02	–	–	–	–	–	–	–	03
7		मेंहल	–	01	06	03	–	–	–	–	–	–	10
8		सिरस	–	02	01	–	–	–	–	–	–	–	03
9		कुकाट	–	07	03	–	–	–	–	–	–	–	10
10		छन्छरा	–	02	–	–	–	–	–	–	–	–	02
11		भीमल	–	01	–	–	–	–	–	–	–	–	01
12		काफल	–	–	–	01	–	–	–	–	–	–	01
13	नापभूमि देवशाल	काफल	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	01
14		उत्तीस	–	–	09	03	–	–	–	–	–	–	12
15		खड़ीक	–	01	03	–	–	02	01	–	–	–	07
16		अंगा	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	01
17		माल्टा	–	02	–	–	–	–	–	–	–	–	02
18		अखरोट	–	–	–	01	–	–	–	–	–	–	01
19		छन्छरा	–	–	02	–	–	–	–	–	–	–	02
20		कुकाट	–	–	02	01	–	–	–	–	–	–	03
21		तिमला	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	01
योग:-			**03**	**34**	**46**	**14**	**–**	**03**	**01**	**–**	**01**	**–**	**102**

राजस्व उप निरीक्षक

तहसीलदार
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो०नि०विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र – 20.1

परियोजना का नामः– मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

परियोजना के निर्माण मे प्रभावित होने वाले वृक्षों का साराशं

क्र.सं.	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग										योग
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	सिविल सोयम	10	35	39	31	12	–	01	–	–	01	129
3	वन पंचायत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग	**10**	**35**	**39**	**31**	**12**	–	**01**	–	–	**01**	**129**
4	नाप भूमि	03	34	46	14	–	03	01	–	01	–	102
	कुल योग	**13**	**69**	**85**	**45**	**12**	**03**	**02**	–	**01**	**01**	**231**

राजस्व उप निरीक्षक

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी
ऊखीमठ
जनपद रूद्रप्रयाग

वनक्षेत्राधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudraprayag Forest Division

उपप्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

J.E

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

वर्ग - व्यास

प्रजाति	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से ऊपर	योग
चीड़ -	1	2	16	10	1.	–	–	–	–	–	= 30
उतीस -	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	= 01
लम्पत्ता -	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	= 03
तुन -	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	= 03
बांज -	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	= 02
पदम -	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	= 01
अंगा -	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	= 01
भ्योल -	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	= 01
मणिपुर बांज -	–	2	1	4	1	–	–	–	–	–	= 08
पापुलर -	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	= 02
योग =	03	10	20	15	04	01	–	–	–	–	= 52 पेड़

(भरतसिंह राणा)
वा० द०
गुप्तकाशी रेंज

प्रधान ग्राम पंचायत [illegible]
ह० [illegible]
दि० ....
वि० ख० ऊखीमठ

प्रेमलाल

प्रधान ग्राम पंचायत [illegible]
ह० [signature]
दि० ....
वि० ख० [illegible]

[signature]
(AAE)

[signature] व०
वा० द०
गुप्तकाशी [illegible]

[signature]
डि० गुप्तकाशी
[illegible]

(04)

[illegible] (ग्रामसभा [illegible])

क्र०	प्रजाति	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	योग
		वर्ग - व्यास								
1.	अंगा	–	3	–	–	1	–	–	–	= 04
2.	बैकिंग	–	–	–	1	–	–	–	–	= 01
3.	उत्तीस	–	–	1	1	–	–	–	–	= 02
4.	बांज	4	7	4	–	–	–	–	–	= 15
5.	गेरु	–	2	–	–	–	–	–	–	= 02
6.	कुकाट	–	2	1	–	–	–	–	–	= 03
7.	तुन	–	1	–	–	–	–	–	–	= 01
8.	पापुलर	–	1	2	6	4	–	–		= 13
	योग =	04	16	08	08	05	–	–		= 41 पेड़

(भरतसिंह राणा)
वार्ड
गुप्तकाशी [illegible]

प्रधान ग्राम पंचायत भेत ज राणी
वि० ख० ऊखीमठ

प्रेमलाल

प्रधान ग्राम पंचायत देवशाल
वि० ख० [illegible]

M.S
(AAE)

वनदे.
गुप्तकाशी रेंज

[illegible]

काल्दयाड़ा नाप खेत

वर्ग व्यास

क्र०	प्रजाति	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	योग
1-	खड़िक	–	3	6	4	–	1	–	–	1	= 15
2-	तिमला	–	3	2	1	–	–	–	–	–	= 06
3-	मालटा	3	10	–	–	–	–	–	–	–	= 13
4-	पीपल	–	–	1	–	–	–	–	–	–	= 01
5-	पदम	–	1	6	–	–	–	–	–	–	= 07
6-	क्वायार	–	1	2	–	–	–	–	–	–	= 03
7-	मेहल	–	1	6	3	–	–	–	–	–	= 10
8-	सिरस	–	2	1	–	–	–	–	–	–	= 03
9-	कुकाट	–	7	3	–	–	–	–	–	–	= 10
10-	छनछरा	–	2	–	–	–	–	–	–	–	= 02
11	भीमल	–	1	–	–	–	–	–	–	–	= 01
12-	काफल	–	–	–	1	–	–	–	–	–	= 01
	योग =	03	31	27	09	–	01	–	–	01	= 72 पेड़,

(भरतसिंह राणा)
वा.दे.
गुप्तकाशी अनुभाग

प्रेमलाल

प्रधान ग्राम पंचायत भेतु ... रानी
ह0 ... प्रधान
ह0 [redacted]
वि0 ख0 ऊखीमठ

प्रधान ग्राम पंचायत देवशाल
ह0 ...
वि0 ख0 ...

(A.A.E)

वन द.
गुप्तकाशी रेंज

उप...
गुप्तकाशी

(42)

	प्रजाति	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	योग
1.	काफल	—	—	1	—	—	—	—	—	—	= 01
2.	उतीस	—	—	9	3	—	2	1	—	—	= 12
3.	खड़िक	—	1	3	—	—	—	—	—	—	= 07
4.	उगा	—	—	1	—	—	—	—	—	—	= 01
5.	माल्टा	—	2	—	—	—	—	—	—	—	= 02
6.	अखरोट	—	—	—	1	—	—	—	—	—	= 01
7.	छिन्दुरा	—	—	2	—	—	—	—	—	—	= 02
8.	कुकाट	—	—	2	1	—	—	—	—	—	= 03
9.	तिमला	—	—	1	—	—	—	—	—	—	= 01
	योग =	—	03	19	05	—	02	01	—	—	= 30 45

(अरविंद शर्मा)
वार्ड
गुप्तकाशी कालीमठ

प्रेमलाल

प्रधान ग्राम पंचायत ... ह० ... दि० ... वि० ख० ऊखीमठ / रुद्रप्रयाग

प्रधान ग्राम पंचायत देवशाल ह० ... दि० ... वि० ख० ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग

(A.A.E)

वार्ड
गुप्तकाशी यूनिट

डि० गुप्तकाशी
... अगस्त्यमुनि

(34)

देवशाल सिवल भूमि

प्रजाति	वर्ग - व्यास 0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 उपर	योग
1. बांज	3	3	4	2	1	—	—	—	—	—	13
2. अंगपुरबांज	—	2	4	2	—	—	—	—	—	—	08
3. तुन	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	04
4. कफार	—	—	1	2	1	—	—	—	—	1	04
5. उतीस	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	03
6. मेहल	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	01
7. बुरांश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	01
8. कुकाट	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	01
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
योग =	03	09	11	08	02	—	01	—	—	01	35 पेड़

(भरतसिंह नेगी)
वार्ड
गुप्तकाशी मुनुबाग

प्रधान ग्राम पंचायत भेत जगरानी
ह०
दि०
वि० ख० ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रधान ग्राम पंचायत देवशाल
ह०
दि०
वि० ख० ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग

(AAE)

वनपाल
गुप्तकाशी रेंज

प्रेमलाल

क्षे० गुप्तकाशी
रे० ऊखीमठ

(47)

प्रपत्र – 21

परियोजना का नामः– **मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।**

परियोजना क्षेत्र में विधमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले 129 वन भूमि एंव 102 नापभूमि में वृक्षों का पातन किया जाना है।

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वनक्षेत्राधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudraprayag Forest Division

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

उपप्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

वृक्षों की मूल्य सूची

परियोजना का नामः- मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

क्र0सं0	ब्लाक/ग्राम	वृक्षों की प्रजाति	वृक्षों का वानस्पतिक नाम	वृक्षों की संख्या	व्यास से0मी0 में	दर प्रति पेड़	कुल धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नारायणकोटी सिविल	चीड़	Pinus roxburgii	1	0-10	101.00	101.00	
				2	10 20	270.00	540.00	
				16	20-30	674.00	10784.00	
				10	30-40	2618.00	26180.00	
				1	40-50	5697.00	5697.00	
		उत्तीस	Alnus nepalensis	1	40-50	1258.00	1258.00	
2				2	10 20	90.00	180.00	
3		लम्पत्ता	Andromeda	1	20-30	180.00	180.00	
				1	10 20	213.00	213.00	
4		तुन	Cedrela toona	1	20-30	1303.00	1303.00	
				1	30-40	3730.00	3730.00	
		बाँज		1	0-10	56.00	56.00	
5			Quercus leucotrichophora	2	10 20	163.00	326.00	
		पदम	Andromeda	1	20-30	180.00	180.00	
6		अंगा	Fraxinus	1	0-10	112.00	112.00	
7		मोरू	Quercus Himalayana	1	10 20	163.00	163.00	
8		मणिपुरी बाँज		2	10 20	90.00	180.00	
9				1	20-30	180.00	180.00	
			Andromeda	4	30-40	438.00	1752.00	
				1	40-50	708.00	708.00	
			Andromeda	2	40-50	708.00	1416.00	
10		पापुलर		3	10 20	180.00	540.00	
11	कुठेड़ा सिविल (मक इम्पिगं-II)	अंगा	Fraxinus	1	40-50	2225.00	2225.00	
			Melia azedarach	1	30-40	398.00	398.00	
12		बकैन		1	20-30	371.00	371.00	
13		उत्तीस	Alnus nepalensis	1	30-40	618.00	618.00	
				4	0-10	56.00	224.00	
14		बाँज	Quercus leucotrichophora	7	10 20	163.00	1141.00	
				4	20-30	253.00	1012.00	
			Quercus Himalayana	2	10 20	163.00	326.00	
15		मोरू		2	10 20	90.00	180.00	
16		कुकाट	Andromeda	1	20-30	180.00	180.00	
			Cedrela toona	1	10 20	213.00	213.00	
17		तुन		1	10 20	90.00	90.00	
18		पापुलर	Andromeda	2	20-30	180.00	360.00	
				6	30-40	438.00	2628.00	
				4	40-50	708.00	2832.00	

(५६)

19	सिविल भूमि देवशाल	बाँज	Quercus leucotrichophora	3	0-10	56.00	168.00	
				3	10 20	163.00	489.00	
				4	20-30	253.00	1012.00	
				2	30-40	545.00	1090.00	
				1	40-50	1180.00	1180.00	
20		मणिपुरी बाँज	Andromeda	2	10 20	90.00	180.00	
				4	20-30	180.00	720.00	
				2	30-40	480.00	960.00	
21		तुन	Cedrela toona	3	10 20	213.00	639.00	
				1	20-30	1303.00	1303.00	
22		अंयार	Rhododendron	1	20-30	180.00	180.00	
				2	30-40	438.00	438.00	
				1	40-50	708.00	1416.00	
23		उत्तीस	Alnus nepalensis	1	20-30	371.00	371.00	
				1	30-40	618.00	618.00	
				1	90 से अधिक	5337.00	5337.00	
24		मेहल	Andromeda	1	10 20	90.00	90.00	
25		बुरांश	Quercus lanuginosa	1	60-70	1146.00	1146.00	
26		कुकाट	Andromeda	1	30-40	438.00	438.00	
	योगः-			129			86352.00	

वन क्षेत्राधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudraprayag Forest Division

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

(47)

परियोजना का नामः– मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के अन्तर्गत काटे जाने पेड़ो का कुल मूल्य रू0 **86352.00** आंकलित किया जाता है।

वनक्षेत्राधिकारी Unit Officer Guptkashi Unit, Guptkashi Rudraprayag Forest Division	उपप्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग

प्रपत्र-22

परियोजना का नामः– **मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।**

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रश्नगत परियेजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन के लिये मेरे द्वारा दि०____________________को स्थलीय निरीक्षण किया गया स्थलीय निरीक्षण के दोरान परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले बांज वृक्षो की निम्नानुसार गणना की गई।

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति		व्यास वर्ग									योग
			0.10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	नारायण कोटी एंव कुठेड़ा सिविल भूमि	**बाँज**	08	12	08	02	01	–	–	–	–	–	**31**
2		**मणिपुरी बाँज**	–	04	05	06	01	–	–	–	–	–	**16**

वन संरक्षक

प्रपत्र-23

परियोजना का नामः– मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना मे वृक्ष प्रभावित न होने की दशा मे प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर (233) वृक्ष प्रभावित हो रहे है। (दो सौ तैंतीस)

अपर सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)
वनक्षेत्राधिकारी Unit Officer Guptkashi Unit, Guptkashi Rudraprayag Forest Division	उपप्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग

प्रपत्र-24

परियोजना का नाम:– मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजन के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वनक्षेत्राधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudraprayag Forest Division

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उपप्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

(51)

कार्यालय

"उत्तरांखण्ड वन–सदैव आपके संग"

मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण,मूल्यांकन,आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण।

वन भवन, 85/87, राजपुर रोड़, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 1521 / 32-1-2(जी.आई.एस.) ~~दिनांक:~~ देहरादून, 07 मार्च, 2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)।

1- पंजिका क्रमांक 249
2- पत्रांक : क्रमांक 13 सी0
3- दिनांक 20/03/2020

विषय :– मा0 मुख्यमंत्री की घो0सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल मोटर मार्ग निर्माण हेतु निकटतम वन्यजीव अभ्यारण्य से हवाई दूरी का प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– आपका कार्यालय पत्रांक 495/13 सी0 दिनांक 29–02–2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में मा0 मुख्यमंत्री की घो0सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल की केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की निकटतम सीमा से हवाई दूरी 1.1 कि0मी0 GIS तकनीकी द्वारा आपके माध्यम से दी गई KML file से सन्निकट आंकलित की गई है।

Ameen

भवदीय,

07/3/2020

मुख्य वन संरक्षक,
अनुश्रवण,मूल्यांकन,आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

परियोजना का नाम:– मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

परियोजना स्थल किसी राष्टीय पार्क/ वन्यजीव अभ्यारण का हिस्सा न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि किसी राष्टीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा नही है।

वनक्षेत्राधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudraprayag Forest Division

उपप्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

(53)

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल मोटर मार्ग निमार्ण हेतु 0.885 है0 वन भूमि वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में।

प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक –3611/12–1 दिनांक 11/5/2020 से उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र कि जनपद रूद्रप्रयाग में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल मोटर मार्ग निमार्ण हेतु 0.885 है0 याचित वन भूमि की केदारनाथ कस्तूरा मृग विहार की सीमा से हवाई दूरी 1.10 कि0मी0 है। इस मोटर मार्ग निर्माण से सम्बन्धित क्षेत्र में वन्यजीव सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही वन कर्मियों द्वारा की जाने वाली गश्त और अधिक सुदृढ़ होगी, जिससे वन अग्नि नियन्त्रण, अवैध शिकार नियन्त्रण एवं वन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर के उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण की संस्तुति जनहित में की जाती है।

(राजीव भरतरी)
प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य
वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
16/5

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड
85–राजपुर रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड), फोन न0–0135–2742884 फैक्स–2745691

पत्रांक– 48 / 12–1(कैम्प) दिनांक 15 मई 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –
1. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
2. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,ऊखीमठ।

(राजीव भरतरी)
प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य
वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
16/5/20

सेवा में,

श्रीमान
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
ऊखीमठ, (गुप्तकाशी)
रूद्रप्रयाग.

महोदय,

आप से निवेदन है कि पूर्व में स्वीकृत नारायणकोटी देवशाल, जारवधार मोटर मार्ग, जो कि ग्राम देवशाल से जारवधार तक पूर्ण नहीं हो रहा है.

अत: महोदय आप से समस्त ग्रामवासी अनुरोध करते हैं कि देवशाल से जारवधार मोटर मार्ग तक जिसकी दूरी लगभग 800 मीटर है. जिसको स्वीकृत करवाने की कृपा कीजियेगा,

धन्यवाद,

भवदीय

समस्त ग्रामवासी देवशा

P.C Attested
सहायक अभियन्ता
निमार्ण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

राजाराम सेमवा
सदस्य जिला पंचाय
त्रियुगी नारायण जन..
रूद्रप्रयाग

प्रधान ग्राम पंचायत देवशाल
ह०
दि०
वि० ख० ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग

आज दिनांक 17/11/2017 को ग्राम सभा देवशाल (कोटेडा) में आम बैठक का आयोजन प्रधान श्री विनोद देवशाली की अध्यक्षता में की गई,

जिसमें समस्त ग्रामवासियों द्वारा देवशाल - कोटेडा मोटर-मार्ग निर्माण के लिए माँग की गई, तथा जो 2015 में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप स्वीकृत है, जिसमें कि सडक निर्माण करने में किसी भी ग्रामवासी को कोई आपत्ति नहीं है, समस्त ग्रामवासियों ने शासन से तथा लो० निर्माण विभाग से निवेदन किया कि उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य अति शीघ्र करवाने की महत्ती कृपा कीजियेगा.

P.C Attested

सहायक अभियन्ता
निमार्ण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

भवदीय
समस्त ग्रामवासी देवशाल

प्रधान ग्राम पंचायत देवशाल
ह०
दि०
वि० ख० ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग

सुशीला देवी
(सुशीला देवशाली)
अध्यक्ष
महिला मंगल दल, देवशाल
वि० ख० ऊखीमठ, जनपद-रुद्रप्रयाग

(कीर्तिधार)

(मनोहर देवशाली)

देवशाली
प्रसाद
प्रसाद
गोविन्द
र सेमवाल
देवशाली
सिंह
देवशाली
नवचन्द्र देवशाली
सिंह
प्रकाश
भट्ट
(कालिका प्रसाद)
(गणेशप्रसाद)
विनोद

राजेन्द्र प्रसाद
गोविन्द सिंह
अनिता देवी
रश्मि देवी
दीपा देवी
मनोरमा देवी
राजेश्वरी
सिलोचना देवी
चन्द्रकला
महेन्द्र सिंह
ओमप्रकाश

प्रपत्र-30

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand,

Office of the District Collector, Rudraprayag.

No..... Dated.23/07/2020

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain

relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.885** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division, PWD, Ukhimath** (name of user agency) for **Narayankoti to Kotheda–Devshal motor road** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Devshal (Kotheda)** villages in **Ukhimath** tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.885** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.2, 30.3 and annexure 30.4

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

District Magistrate
Rudraprayag, Uttarakhand.

प्रपत्र-30.1

Annexure -

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR,

RUDRAPRAYAG, UTTARAKHAND.

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Rudraprayag** district, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of ...VANDANA SINGH.................. District Magistrate, Rudraprayag District, on the date 23/07/2020 at time 11:00 Am..in **Rudraprayag** in which application claiming rights in Forest area measuring **0.885** **hectare** for the construction of **Construction of Narayankoti to Kotheda–Devshal motor road** in forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Ukhimath Tehsil** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the saided purpose.

District Magistrate Cum-Chairman
District Level Committee
Rudraprayag, Uttarakhand.

(58)

प्रपत्र-30.2

परियोजना का नामः— मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी से कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी ऊखीमठ

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण – पत्र

उपखण्ड़ स्तरीय समिति, ऊखीमठ

उपखण्ड़ ऊखीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत **मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी से कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु** राज्यभूमि **0.7875 है०** (मोटर मार्ग निर्माण हेतु) एंव राज्य/पंचायती भूमि **0.0975 है०** (मक ड़म्पिगं हेतु) अर्थात कुल वनभूमि **0.885 है०** का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसुचित जनजाति और अन्य परम्पारागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड़ स्तरीय समिति, (तहसील- ऊखीमठ) की दिनाँक ...6/2/2020.......... को सम्पन बैठक की कार्यवाही का विवरणः-

अनुसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति की बेठक **श्री** .... उप जिलाधिकारी एंव अध्यक्ष उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बेठक मे माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- **श्री** ...वरुण अग्रवाल... **उपजिलाधिकारी** ऊखीमठ ....**अध्यक्ष**

2- **श्री** ...सहिपाल सिंह सिरोही... **उपप्रभागीय वनधिकारी** ...रूद्रप्रयाग...........**सदस्य**

3- **श्री** ...संजीव पाल... **सहायक समाज कल्याण अधिकारी** ....**सदस्य/सचिव**

4- **श्री** ...मती जमुना देवी... **बी०डी०सी० क्षेत्र** ...भेत-जुरानी (नारायणकोटी)... **सदस्य**

4-1 श्री सन्दीप कुमार ——"—— देवसाल, रुद्रपुर, कुठेड़ा

उपखण्ड़ सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया **मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी से कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.885 है०** वनभूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीयों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का संम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

संम्बन्धित उपप्रभागीय वनाधिकारी ...रूद्रप्रयाग......... द्वारा अनुसुचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्ससम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुऐ जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा /पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक सर्वसम्मति से उपखण्ड़ ऊखीमठ परिक्षेत्र के **मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी से कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.885 है०** वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्रधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

जमुना देवी — बी०डी०सी०
श्रीमती जमुना देवी सदस्य क्षेत्र पंचायत भेत-जुरानी, नारायणकोटि वि० ख० ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

सहायक समाज कल्याण अधिकारी

उपप्रभागीय वनधिकारी

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील –ऊखीमठ, जनपद – रूद्रप्रयाग

REVENUE SUB INSPECTOR Circle ... Tehsil ...

प्रतिलिपिः- जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– ऊखीमठ, जनपद - रूद्रप्रयाग

सदस्य क्षेत्र पंचायत–रुद्रपुर वि० ख० ऊखीमठ जनपद–रुद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड)

उप प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम:- **मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी से कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।**

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - देवशाल

तहसील - ऊखीमठ, जिला – रूद्रप्रयाग,

अनापत्ति का प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में **मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी से कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु** राज्यभूमि **0.7875 है0** (मोटर मार्ग निर्माण हेतु) एंव **0.0975 है0** राज्य/पंचायती भूमि (मक डम्पिंग हेतु) अर्थात कुल राज्यभूमि **0.885 है0** का लो0नि0वि0 के पक्ष मे भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में दिनांक 25 / 01 /**2020** को सम्पन्न ग्राम पंचायत की बैठक में लो0नि0वि0 द्वारा आवेदित वनभूमि के संम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आधिवासी अथवा किसी गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आधिवासी अथवा गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसमति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम देवशाल के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि उक्त परियोजना हेतु लो0नि0वि0 को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ह0 मुहर सहित | ह0 मुहर सहित

सरपंच | प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत देवसाल, वि0 ख0 ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-30.4

परियोजना का नामः– मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी से कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

दिनांक 25 / 01 /2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम – देवशाल

क्र.स.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	2	3
1	नीरज	Neeraj
2	नवीन चन्द्र देवशाली	Naveen
3	अर्चना देवशाली	Archana
4	राजेश्वरी	[signature]
5	सतीश चन्द्र	[signature]
6	सुनीता देवी	सुनीता
7		
8		
9		
10		

ह0 मुहर सहित

सरपंच

सरपंच
वैकल्पिक कौरेस पंचायत
ग्राम–कोटेड़ा
[illegible]

ह0 मुहर सहित

प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत देवशाल
ह0
दि0
[illegible]

...ogical Assessment of 1.50 Km long Narayankoti-Kotheda-Devshal Motor Road Alignment between CH 0.0 and 1.50 Km, Ukhimath Division, District Rudraprayag

Tushar Sharma

23/04/2018

1. **Introduction:** The Construction Division, Ukhimath has been entrusted for the construction of 2.50 Km long Narayankoti-Kotheda-Devshal motor road between CH 0.0 and 2.50 km, District Rudraprayag. In order to assess the alignment site for construction, Er. Manoj Das (Executive Engineer) Construction Division, Ukhimath asked for a geologist to make a site visit. Consequent to his request a site visit was made on 08/03/2018; Er. Maan Singh (Junior Engineer) CD, Ukhimath was present during the site visit.

2. **Topographical Information/Location:** The above mentioned motor road alignment diverts from CH 45.50 Km of NH-107 Motor Road and connects Narayankoti, Devshal, Kotheda, Kalasu, Bansu, Tyudi and Jandhar villages, also the motor road will connect NH-107 with Chardham Yatra helipad at Jandhar, Ukhimath block, district Rudraprayag. The co-ordinates along with elevation, masl of the site near CH 0.0 Km are as follows-

Latitude:	30° 32'49.55"
Longitude:	79° 04'26.25"
Approximate Elevation:	1415 M

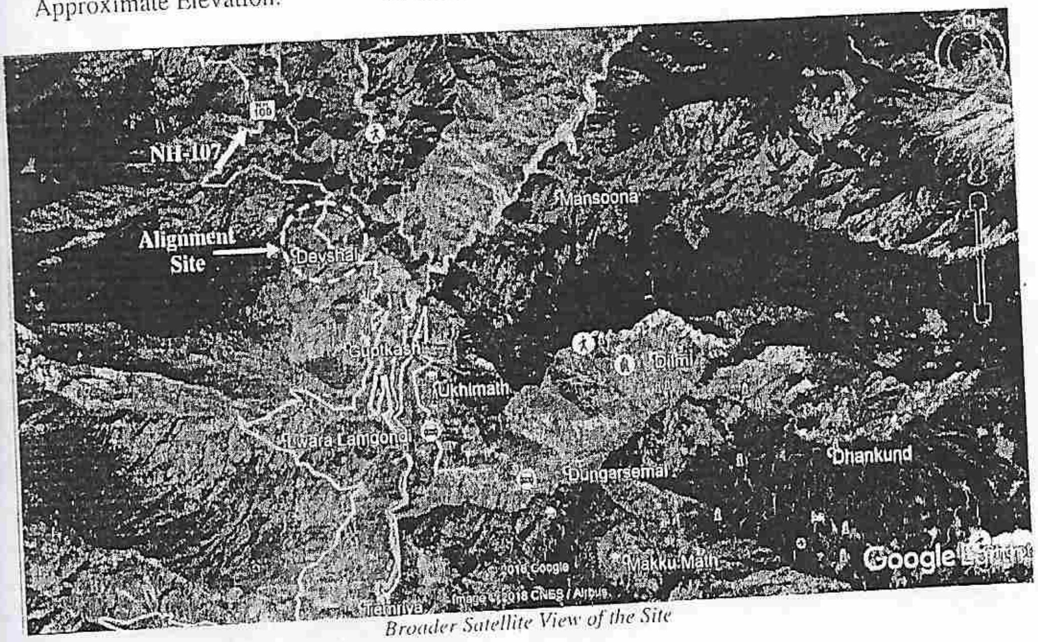

Broader Satellite View of the Site

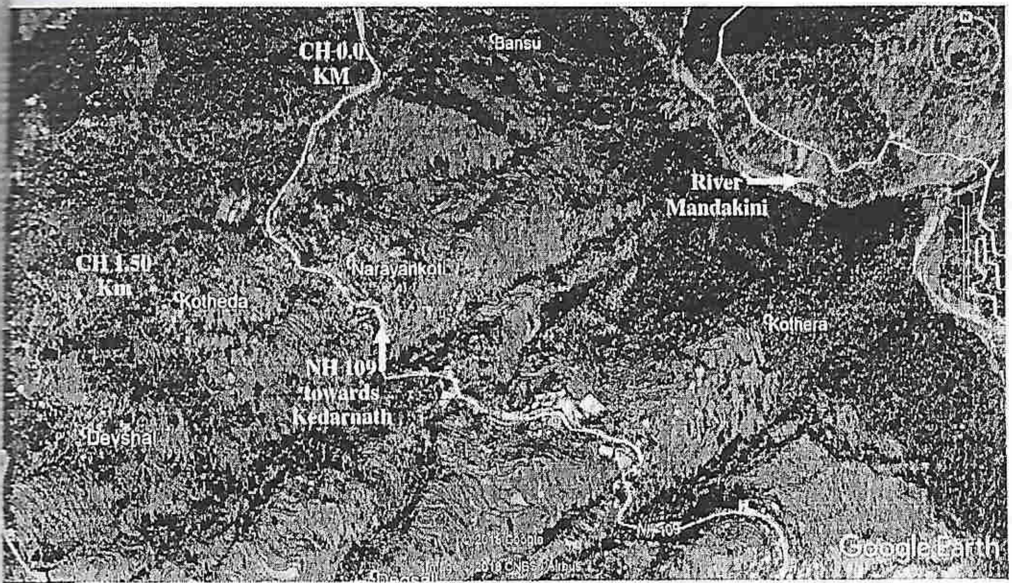

Closer Satellite View of the Road Alignment Site

<u>**Geological Assessment**</u>**:** Geologically, the area falls under the Higher Himalayan zone, Munsyari Formation by (Valdiya, 1973; Valdiya and others, 1999). It is in the close vicinity of a regional fault known as Munsyari Thrust which passes near Kund- Guptkashi and separates Meta-sedimentary rocks of Garhwal with high grade metamorphic rocks of Higher Himalaya. However, the road alignment runs through the slope over which 1.125 Km is cultivation land (Naap Khet) and 0.375 Km Civil forest land covered with overburden and slope wash material with vegetation with a few patches of bed rock consisting of Biotite-Schist, Quartzite and Quartz-Biotite Gneiss. The approximate strength of exposed rock mass is around ~100-150 MPa and has undergone W_0 to W_3 weathering grade.

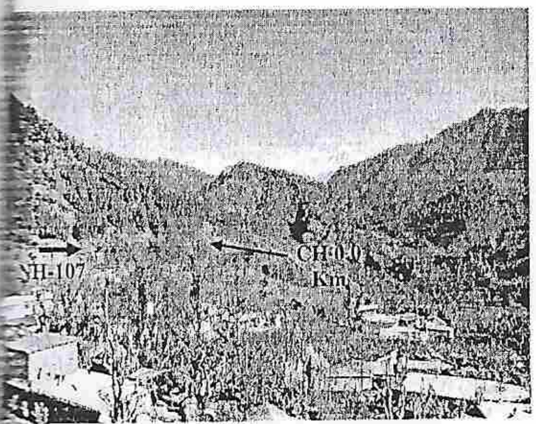

CH 0.0 Km of the road alignment

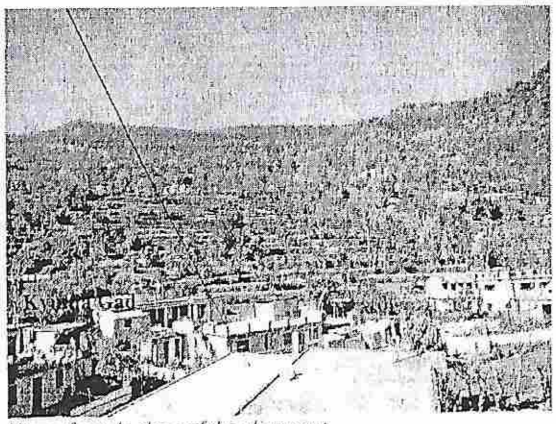

View of gentle slope of the alignment

The hill slope of the road alignment is gentle to moderately steep (20-30°) which roughly declines towards East to North-East direction. The alignment passes through a small nalla/stream at CH 0.775 Km. There is one hair pin bend on the alignment which is at CH 0.850 Km. The gradient of the road alignment ranges between 1:18 to 1:20 with both rise and fall with a gradient of 1:40 at hair pin bends.

- **Seismicity of the area:** According to Indian Standard code the site falls in seismic zone V of seismic zoning Map of India (IS 1893, part 1, 2002) which corresponds to intensity IX or above MM scale.

On the basis of the geological inspection of the site studies carried and the facts given above, the following recommendations are being made for the construction of the proposed road failing to these recommendations this report will be automatically treated as cancelled.

5- Recommendations:

1. Blasting by explosives for the road construction is to be avoided as far as it is possible. Use of explosives will render the slope highly unstable as the slope consists of jointed/ fractured rock mass and overburden/slope wash material.

2. Excavation work must be carried out by skilled manual workers as the rock slopes are prone to slide down in case of rapid disturbance.

3. The slopes on either sides of the road must be protected by the construction of suitably designed retaining wall/ breast wall with proper weep holes, this work shall be carried out simultaneously with the advancement of the road cutting.

4. Construct a large U-shaped longitudinal concrete lined drain all along the hill side of the road with adequate provision of cross drains is necessary.

5. Construct small bridge/pulliya over the nalla/stream at CH 0.775 Km so as to avoid any damage to the road during monsoon season.

6. Construct the road by half cut and half fill techniques and compact the fill material properly by dynamic compaction.

7. Disposal of muck and excavated waste on the lower slopes of this road is to be strictly avoided; failing to which will increase the weight of the lower slope resulting in the increase in driving forces. It is advised to dispose the muck on identified sites for muck disposal.

8. All the construction activities ought to be carried out as per the standard codes of practice laid by the BIS and MORTH.

[illegible]: On the basis of the geological/geotechnical studies carried at the site and [illegible] above recommendations, the site proposed for 1.50 Km long Narayankoti-Kotheda-[illegible] motor road between CH 0.0 and 1.50 km was found geologically suitable for [illegible]

[illegible] 115 भू० वै०-सिविल-पौड़ी /2018

Date: 23/04/2018

(Tushar Sharma)
Assistant Geologist
Office of Chief Engineer
PWD (Pauri Zone)

P.C Attested

सहायक अभियन्ता
निमार्ण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

प्रपत्र-34

परियोजना का नामः— मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-35

परियोजना का नामः– मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
(ii)Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
(ii)(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping is view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in roak. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
(iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
(v)Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with go d results.
(vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियों का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-36

परियोजना का नामः— मा॰मु॰जी की घो॰ सं॰ 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

मानक शर्तो का मान्य होने का प्रमाण-पत्र

:मानक शर्तें:

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।

2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।

3- प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

4. वनभूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

5. प्रयोक्ता ऐजेन्सी उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकरे का भुगतान प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता ऐजेन्सी सहमत हैं।

6- परियोजना के निर्माण हेति आवेदित भूमि का सीमाकंन प्रयोक्ता ऐजेन्सी के ब्यय से संम्बन्धित वनाधिकारी की रेख-देख मे किया जायेगा तथा इस संम्बन्ध बनाय गये मुनारो रख-खाव किया जायेगा

7- हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता ऐजेन्सी को कोई आपत्ति नही होगी।

8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।

9. सिंचाई विभाग / जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

10. प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूतिम का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रतिकरक के भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता ऐजेन्सी को न रहने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन शादि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।

11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदढीकरण/चोड़ीकरण कार्य करन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मंत्रालय की स्वीकृति की जानी अनिवार्य है को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।

12. प्रयोक्ता ऐजेन्सी के वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष मे जमा किया जायेगा ।

13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उतराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा

14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता ऐजेन्सी वन विभाग को किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरीड़ोर के नीचे यथासम्भव पेड़ो का पातन नही किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या मे पेड़ो को बचाया जायेगा यदि फिर भी पेड़ो का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ो की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो प्रयोक्ता ऐजेन्सी उक्त कार्य स्वय के व्यय से करायेगा।

17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा उनका संक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता ऐजेन्सी को मान्य है।

अपर सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-37

परियोजना का नामः– **मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।**

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वनभूमि मे किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल,धार्मिक स्थल स्मारक,मन्दिर,मस्जिद,शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नही है तथा उक्त वनभूमि सार्वजनिक उपयोग की नही है।

अपर सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-38

परियोजना का नामः– **मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।**

वन्य जीव /वनस्पतियों को क्षति न पँहुचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना निर्माण कार्य/ रख-रखाव के दोरान वन्यजीव /स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पँहुचाया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-39

परियोजना का नामः– **मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।**

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसौई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रूद्रप्रयाग में **मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण** के दौरान वन सम्पदा का प्रयोग भोजन पकाने में नही करेगा तथा रसोई गैस व कैरेसिन तैल का इस्तेमाल भोजन पकाने में करेगा। जिसकी आपूर्ति प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा की जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

प्रपत्र-40

परियोजना का नामः– **मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।**

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारो/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों /परिवारो / जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्र.स.	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारो की संख्या
1.	कुठेड़ा–देवशाल	340	90

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-41

परियोजना का नाम:– मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु **0.885** है० वनभूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रू० **7.93** लाख प्रति है० है। तथा वनभूमि का कुल मूल्य रू० **7.02** लाख होता है।

राजस्व उपनिरीक्षक

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रस्तावित परियोजना में पातन होने वाले वृक्षों के दस गुने वृक्षों (231 X 10 = 2310) के वृक्षारोपण कार्य हेतु प्राक्कलन

परियोजना का नामः– मा0मु0मं0 जी की घोषणा संख्या–553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.885 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

रोपित किये जाने वाले पौधो की संख्या :– 2310

क्र0 सं0	कार्य का नाम	इकाई		इकाई दर (रू0)	धनराशि
	प्रथम चरण				
1	ट्रीगाड क्रय करना	2310	सं0	1000.000	2310000.000
2	गडढा खुदान (0.30x0.30x0.45)	2310	गढ्ढा	7.950	18364.500
3	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	2310	पौध	6.200	14322.000
	योग – प्रथम चरण				**2342686.50**
	द्वितीय चरण				
1	गडढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45) (प्रति 100)	2310	पौध	1.42	3280.20
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	2310	पौध	1.80	4158.00
3	पौध का ढुलान वाहन से 25 कि0मी0	2310	पौध	9.00	5197.50
4	ट्री गार्ड ढुलान करना	2310	L.S.	50.000	115500.000
5	ट्री गार्ड गाढ़ना एवं फिक्स करना	2310	L.S.	75.000	173250.000
6	पौधारोपण व थालाबन्दी	2310	पौध	2.77	6398.70
				योग– द्वितीय चरण	**307784.40**
				योग– प्रथम चरण+द्वितीय चरण	**2650470.90**
				कुल योग—–	**2650470.90**
	तृतीय चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.8850	है0	685 प्रतिमाह / प्रति है0	7274.70
	योग– तृतीय चरण				**7274.70**
	चतुर्थ चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.8850	है0	685 प्रतिमाह / प्रति है0	7274.70
	योग– चतुर्थ चरण				**7274.70**
	पंचम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	0.8850	है0	685 प्रतिमाह / प्रति है0	7274.70
	योग– पंचम चरण				**7274.70**
	छठवां चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.8850	है0	685 प्रतिमाह / प्रति है0	7274.70
	छठवां चरण का योग :–				**7274.70**

सातवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.8850	है0	685 प्रतिमाह / प्रति है0	7274.70
सातवां चरण का योग :–					7274.70
आठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.8850	है0	685 प्रतिमाह / प्रति है0	7274.70
आठवां चरण का योग :–					7274.70
नवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.8850	है0	685 प्रतिमाह / प्रति है0	7274.70
नवें चरण का योग :–					7274.70
दसवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.8850	है0	685 प्रतिमाह / प्रति है0	7274.70
दसवें चरण का योग :–					7274.70
कुल योग––					**2708668.50**
कुल धनराशि		प्रथम चरण			2342686.50
		द्वितीय चरण			307784.40
		तृतीय चरण			7274.70
		चतुर्थ चरण			7274.70
		पंचम चरण			7274.70
		षश्ठम चरण			7274.70
		सप्तम चरण			7274.70
		अष्टम चरण			7274.70
		नवम् चरण			7274.70
		दसवें चरण			7274.70
		कुल योग			**2708668.50**
		मृदा एवं जल सरंक्षण कार्य			**365941.50**
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक–972 / 3–5–2 दिनांक 21.11.2017 के अनुसार वसूली वर्ष 2020–21 हेतु देय दर = 1331.00 रू0 / पौध		**2310**	पौध		**3074610.00**

Unit Officer
Guptkashi Unit Guptkashi
Rudraprayag Forest Division

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:– **मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।**

मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी माँग के अनुसार उपलब्ध करा दी जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

MUCK DISPOSAL PLAN

परियोजना का नामः– मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

Muck Received From Hill Side Cutting

Road length		Average Cutting Width	Average Cutting Height
Forest land	1125 m	4 m	3 m
Nap land	875 m	3 m	2 m

Material Received from hill side Cutting

For Forest Land	1/2 x 1125 x 4 x 3	= 6750.00 Cum	
For Nap land	1 x 875 x 3 x 2	= 5250.00 Cum	
	Total muck	= **12000.00 Cum**	------ A

Assuming 40% swelling of muck so muck received(A+40%A) = **16800.00 Cum** ------ B

Material Utilized in the Project

Assume 40% boulders and 60% soil in the Muck

Quantity of Boulders received from muck (40% of B) 6720 Cum ------ C

Boulders used as :-

(a)	RR Stone Masonary (60% of C)	4032 Cum
(b)	HP Stone Filling (20% of C)	1344 Cum
(c)	Wirecrates and parapits (10% of C)	672 Cum
(d)	Granular sub base/ base (10% of C)	672 Cum
	Total Boulders utilized	6720 Cum

Soil used in filling for Half cutting-Half filling method (assume 40% of 'B-C') 4032 Cum ------ D

Muck left for disposal (B-C-D) 6048.00 Cum

Disposal of Muck/loose soil in Dumping Zones

Sl. No.	Location	Type of Land/ Name of owner	Size of Dumping yard L(m)	B(m)	H(m)	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या	Area (Ha.)	Capacity (Cum)	Latitude/ Longitude
1	Ch. N.H Km-53	पचायती वनभूमि	15 x	15 x	6	वृक्ष विहिन	0.023	1350	79°5'2" E 30°31'26" N
2		राज्यभूमि	15 x	25 x	7	41 वृक्ष	0.0375	2625	79°4'19.68E 30°32'45.13N
3		राज्य भूमि	15 x	25 x	6	वृक्ष विहिन	0.0375	2250	79°4'13.39E 30°32'38.61 N
							0.0975 Hec		

Total Capacity of Dumping Zones	-	6300 Cum
Total Muck need to be disposed	-	6048 Cum
Balance Debris	-	NIL

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वन क्षेत्राधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudraprayag Forest Division

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

जियोरेफेरेन्स मैपः– मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा सं0 553/2015 के अंतर्गत नारायणकोट–कुठेड़ा–देवसाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

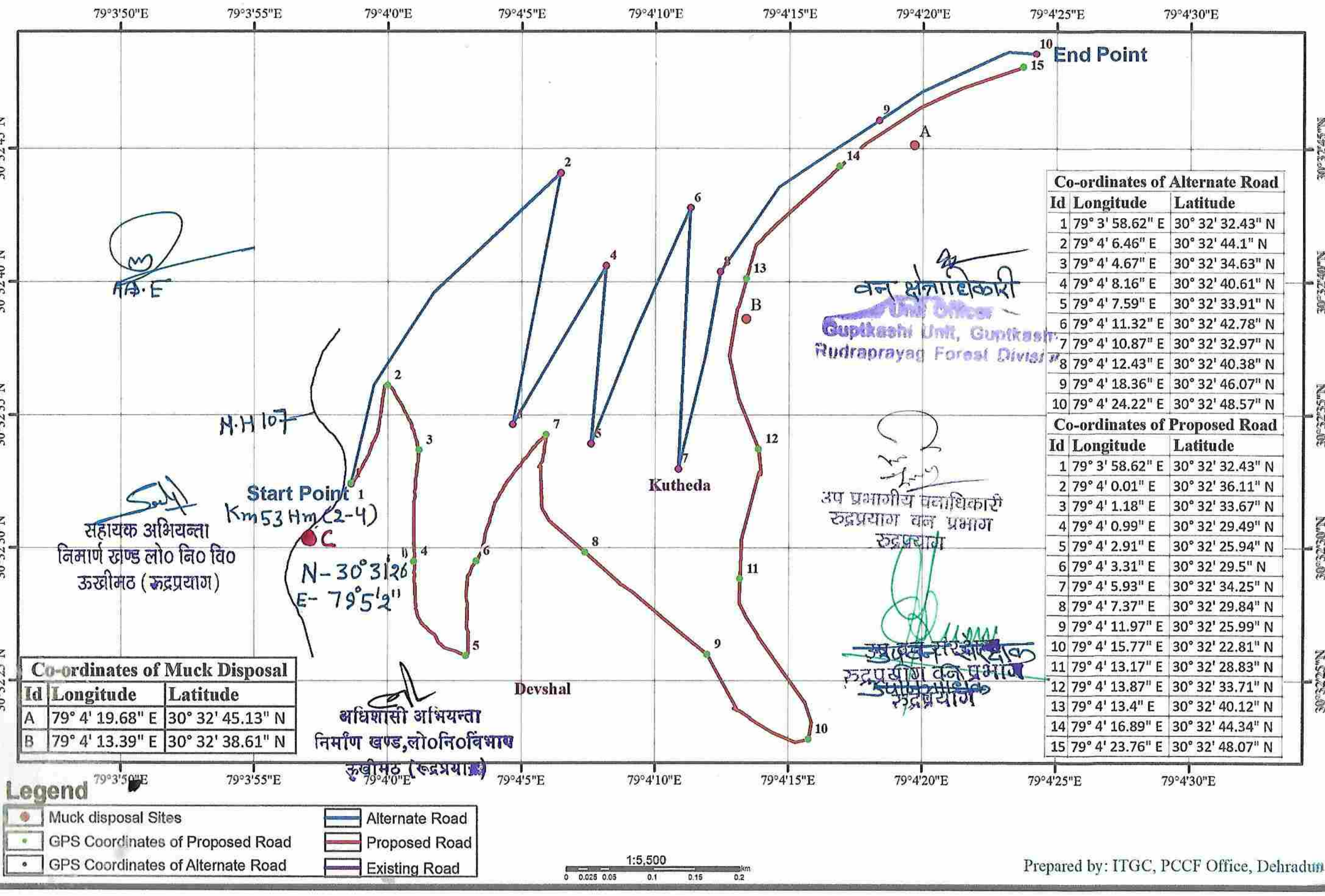

Co-ordinates of Muck Disposal		
Id	Longitude	Latitude
A	79° 4' 19.68" E	30° 32' 45.13" N
B	79° 4' 13.39" E	30° 32' 38.61" N

Co-ordinates of Alternate Road		
Id	Longitude	Latitude
1	79° 3' 58.62" E	30° 32' 32.43" N
2	79° 4' 6.46" E	30° 32' 44.1" N
3	79° 4' 4.67" E	30° 32' 34.63" N
4	79° 4' 8.16" E	30° 32' 40.61" N
5	79° 4' 7.59" E	30° 32' 33.91" N
6	79° 4' 11.32" E	30° 32' 42.78" N
7	79° 4' 10.87" E	30° 32' 32.97" N
8	79° 4' 12.43" E	30° 32' 40.38" N
9	79° 4' 18.36" E	30° 32' 46.07" N
10	79° 4' 24.22" E	30° 32' 48.57" N

Co-ordinates of Proposed Road		
Id	Longitude	Latitude
1	79° 3' 58.62" E	30° 32' 32.43" N
2	79° 4' 0.01" E	30° 32' 36.11" N
3	79° 4' 1.18" E	30° 32' 33.67" N
4	79° 4' 0.99" E	30° 32' 29.49" N
5	79° 4' 2.91" E	30° 32' 25.94" N
6	79° 4' 3.31" E	30° 32' 29.5" N
7	79° 4' 5.93" E	30° 32' 34.25" N
8	79° 4' 7.37" E	30° 32' 29.84" N
9	79° 4' 11.97" E	30° 32' 25.99" N
10	79° 4' 15.77" E	30° 32' 22.81" N
11	79° 4' 13.17" E	30° 32' 28.83" N
12	79° 4' 13.87" E	30° 32' 33.71" N
13	79° 4' 13.4" E	30° 32' 40.12" N
14	79° 4' 16.89" E	30° 32' 44.34" N
15	79° 4' 23.76" E	30° 32' 48.07" N

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

परियोजना का नामः– मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

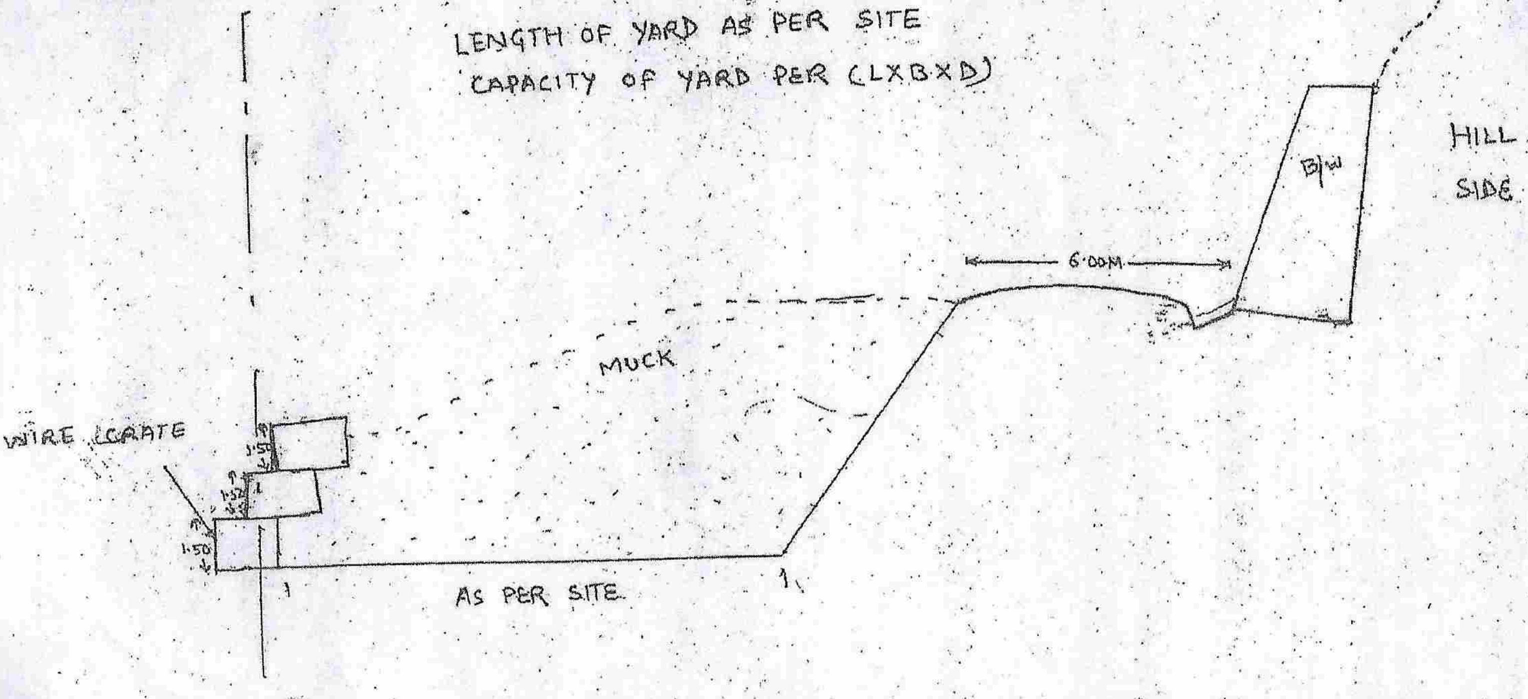

TYPICAL SECTION OF MUCK DISPOSAL YARD

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग)

(79)

प्रपत्र-50

परियोजना का नामः– **मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।**

N.P.V. की धनराशी का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3 /2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 देयता निम्नानुसार है।

1.ईको – क्लास श्रेणी----------V----------

2.हरियाली का घनत्व ----------0.20 – 0.30

3.एन.पी.वी. की दर प्रति है.----------845000=0

4.आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल **0.885 है0**

5.कुल देय N.P.V की धनराशी----------747825=0

वनक्षेत्राधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudraprayag Forest Division

उपप्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

प्रपत्र-51

परियोजना का नामः– **मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।**

एन०पी०वी० की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशी जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-54

परियोजना का नामः– **मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।**

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण- प्त्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन मे पर वन संरक्षण अधिनियम, **1980** का उल्लंघन नही हुआ है।

अपर सहायक अभियन्ता
नि[illegible]ण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

वनक्षेत्राधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudraprayag Forest Division

उपप्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग